पत्र पेटेंट आवेदन

मुख्य न्यायाधीश मेहर सिंह व न्यायाधीश, रणजीत सिंह सरकारिया के समक्ष ,

लेटर्स पेटेंट अपील नं. 289 सन 1968

. 21 मई, 1969

हरियाणा राज्य,-अपीलार्थी

बनाम देव दत्त गुप्ता और एक और,-उत्तरदाता

भारत का संविधान (1950)-अनुच्छेद 311 (2)-सरकारी कर्मचारी को उच्च पद के लिए अनुपयुक्त पाया गया मूल पद में परिवर्तन-इस तरह का प्रत्यावर्तन-चाहे सरकारी कर्मचारी पर कलंक लगे, जो 'पद में कमी' के बराबर है-परिवीक्षाधीन सिविल सेवक-क्या परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त होने के कारण मूल नियुक्ति का दावा किया जा सकता है।

पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, बिल्डिंग्स एंड रोड्स ब्रांच (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम (1942)-नियम 3 (बी) और 4 उप-मंडल अधिकारी सहायक कार्यकारी अभियंता नहीं हैं-चाहे वे नियमों द्वारा शासित हों।पंजाब पुनर्गठन अधिनियम (1966 का XXXI)-धारा 88-क्या धारा 24, सामान्य खंड अधिनियम के अर्थ के भीतर एक निरसन और पुनः अधिनियमित प्रावधान-संयुक्त पंजाब में एक सरकारी कर्मचारी के प्रत्यावर्तन का आदेश 28 अक्टूबर, 1966 को पारित किया गया-आदेश 1 नवंबर, 1966 से पहले संप्रेषित नहीं किया गया था या अन्यथा उचित रूप से प्रकाशित किया गया था-ऐसा आदेश-क्या अप्रभावी हो जाता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसा आदेश जो किसी कार्यवाहक सरकारी कर्मचारी को उसके उस उच्च पद के लिए, जिसमें वह कार्यवाहक था, अनुपयुक्त पाए जाने के व्यक्त आधार पर उसके मूल पद पर पुनर्स्थापित करता है, अपने आप में एक कलंक लगाने वाला दंडात्मक आदेश नहीं कहा जा सकता है, जो संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के विचार के भीतर उसके 'पद में कमी' के बराबर है, यदि उसके अनुपयुक्त पाए जाने का संदर्भ उसके नियोजन की शर्तों को नियंत्रित करने वाले किसी वैधानिक नियम के अनुसरण में किया गया है, या, ऐसे वैधानिक नियम के अभाव में, किसी शर्त, वाचा या उसके नियोजन की अवधि के अनुसार, जो या तो उसकी सेवा के एक स्पष्ट अनुबंध या एक समान साधन में निहित हो सकता है, या उसके नियोजन की प्रकृति से निहित हो सकता है। हालाँकि, सरकारी कर्मचारी के लिए यह दिखाने के लिए खुला है कि हालांकि प्रत्यावर्तन के क्रम के रूप में उसके रोजगार के नियमों और शर्तों को पारित किया गया था, फिर भी सार और वास्तविकता में, उसका प्रत्यावर्तन एक दंडात्मक कार्रवाई है जो संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अर्थ के भीतर 'रैंक में कमी' के बराबर है। यदि कार्यवाहक सरकारी कर्मचारी के प्रत्यावर्तन का आदेश, रोजगार के नियमों और शर्तों की आवश्यकताओं को पार करते हुए, कर्मचारी को "अवांछनीय", "बेईमान", "अपरिवर्तनीय" जैसे उपनामों का उपयोग करके अविश्वसनीय रूप से ब्रांड या कलंकित करने के रास्ते से बाहर चला जाता है, जिसका प्रभाव उसे स्थायी रूप से रोजगार या भविष्य की पदोन्नति से वंचित करने का होगा, तो यह एक दंडात्मक आदेश होगा।

(पैरा54, 55 & 56)

अभिनिर्धारित किया गया कि सेवा नियमों में स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा उस पाठ्यक्रम की गारंटी देने वाली किसी भी चीज़ के अभाव में, सिविल सेवक परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त होने के आधार पर, एक अनिवार्य नियुक्ति होने का दावा नहीं कर सकता है। जहां किसी व्यक्ति को कार्यवाहक क्षमता में उच्च पद पर नियुक्त किया जाता है, वह किसी भी अवधि के लिए उस पद को धारण करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं करता है और यदि उस उच्च पद पर उसका कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, जिस पर वह कार्य कर रहा है, तो उसका मूल पद पर प्रत्यावर्तन संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अर्थ के भीतर 'रैंक में कमी' के बराबर नहीं होगा।

(पैरा 41)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब इंजीनियरों की सेवा, भवनों और सड़कों की शाखा (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1942 के विभिन्न उपबंधों की स्कीम और भाषा से यह स्पष्ट है कि उप-मंडल प्रभार के 11 पद। सहायक कार्यपालक अभियंता द्वारा अभिनिर्धारित किया जाए तो इसके विपरीत यह प्रस्ताव कि सभी उप-मंडल अधिकारी सहायक कार्यपालक अभियंता हैं और इस प्रकार सेवा के सदस्य हैं, सत्य नहीं है। नियमों के नियम 3 (बी) में दी गई 'सहायक कार्यकारी अभियंता' की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि कार्यकारी अभियंता से कम रैंक वाले सभी अधिकारी, जिन्हें 'सहायक कार्यकारी अभियंता' कहा जा सकता है, को अनिवार्य रूप से अधिकारी होना चाहिए।

सेवा के कैडर पर। नियम 3 के खंड (एम) में दी गई 'सेवा' की परिभाषा सहायक नहीं है। इसलिए, 'सेवा में' शब्दों को एक अर्थ दिया जाना है, जो 1942 के नियमों की योजना और अन्य प्रावधानों के अनुरूप है। इस सेवा में रैंक या ग्रेड के लिए एक निश्चित सुराग नियम 4 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार, सेवा के केवल चार ग्रेड हैं, अर्थात् मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता और सहायक कार्यकारी अभियंता। परंतुक मामले को सभी संदेहों से परे रखता है जब यह कहता है कि आम तौर पर, सेवा के लिए सभी पहली नियुक्तियां सहायक कार्यकारी अभियंता के पद पर होंगी। इसलिए कार्यवाहक उप-मंडल अधिकारी 1942 के नियमों द्वारा शासित नहीं होते हैं।

(पैरा 32 और 34)

माना गया कि केवल पंजाब के क्षेत्रों को चार उत्तराधिकारी राज्यों में विभाजित करने से उन कानूनों को निरस्त या निरस्त नहीं किया जाएगा जो उन क्षेत्रों में नियत दिन से तुरंत लागू थे। टी; यहाँ पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में कुछ भी नहीं है, यहां तक कि धारा 88 में भी नहीं है, जो स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से उन कानूनों को निरस्त करता है जो पूर्व पंजाब के क्षेत्रों में नियत दिन से तुरंत पहले लागू थे। उन कानूनों ने अधिनियम के बल को प्राप्त किया। धारा 88 का पहला भाग केवल पंजाब के संगठन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी शंका का स्पष्टीकरण देता है, जबकि इस धारा का उत्तरार्द्ध केवल इस आशय का एक अनुकूली उपबंध है कि पंजाब राज्य के लिए ऐसी किसी विधि में प्रादेशिक निर्देश नियत दिन से ठीक पहले उस राज्य के भीतर के राज्यक्षेत्रों को सूचित करते रहेंगे। इस प्रकार, समग्र रूप से पढ़ें, धारा 88 केवल उन कानूनों की निरंतरता के बारे में संदेह को दूर करती है जो पूर्व पंजाब राज्य में नियत दिन से पहले लागू थे, जब तक कि उत्तराधिकारी राज्यों का सक्षम विधायिका या प्राधिकरण उन कानूनों में कोई बदलाव नहीं करता है। इसलिए अधिनियम, विशेष रूप से धारा 88 सामान्य खंड अधिनियम की धारा 24 के अर्थ के भीतर एक निरसन और पुनः अधिनियमित प्रावधान नहीं है।

(पैरा 71)

अभिनिर्धारित किया जाता है कि कोई प्रशासनिक आदेश संबंधित व्यक्ति को सूचित किए जाने की तारीख से प्रभावी होता है या अन्यथा उचित तरीके से प्रचारित किया जाता है। यदि संयुक्त पंजाब में किसी सरकारी कर्मचारी के प्रत्यावर्तन का आदेश 28 अक्टूबर, 1966 को पारित किया जाता है, लेकिन 1 नवंबर, 1966 के बाद सूचित किया जाता है, जिस दिन पूर्व पंजाब राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया था और चार उत्तराधिकारी राज्य बनाए गए थे, तो आदेश अप्रभावी, निष्क्रिय और अभी भी पैदा हुआ है, क्योंकि यह 1 नवंबर, 1966 से पहले न तो संप्रेषित किया गया है और न ही उचित तरीके से प्रचारित किया गया है।

(पैरा 77)

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. एस. नरूला के निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खंड X के अधीन लेटर्स पेटेंट अपील, दिनांक 20 वीं एम आर्च, 1968 को सिविल रिट नं. 1966 का 2457।

(8) एस. गुप्ता, अधिवक्ता, महाधिवक्ता (हरियाणा) के लिए अपीलार्थी की ओर से।

के. पी. भंडारी और आई. बी. भंडारी, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति ,सरकारिया, -ये लेटर पेटेंट के खंड 10 के तहत 15 अपीलें हैं, जिन्हें पंजाब और हरियाणा राज्यों द्वारा पसंद किया गया है। सुविधा के लिए, उन्हें दो गुच्छों में विभाजित किया जा सकता है। पहला समूह 1968 के लेटर पेटेंट 286,289,368,340,374,375,376,377,378,379,380,502 और 511 द्वारा गठित किया गया है। दूसरे समूह में 1968 के लेटर पेटेंट 327 और 328 शामिल हैं। कानून और तथ्य के मुख्य प्रश्न समान होने के कारण, यह निर्णय उन सभी पंद्रहों का निपटारा करेगा।

(2) पहले समूह में, लेटर पेटेंट 289,368 और 286 को एक विद्वान एकल न्यायाधीश के एक निर्णय, दिनांक 20 मार्च, 1968 के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसके द्वारा उन्होंने क्रमशः 1966 के 2457,1966 के 2458 और 1966 के 2436 को रिट-याचिकाओं की अनुमति दी, जो क्रमशः देव दत्त, दसौंदी राम और बलबीर सिंह द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर की गई थी, और अन्य सात अपीलें (लेटर पेटेंट अपील सं. 374 से 380 (1968 का 380) उसी विद्वत न्यायाधीश के 28 मार्च, 1968 के एक अन्य निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा उसने संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन क्रमशः जगदीश सिंह, आर. आर. भनोट, सूरत सिंह, शमशेर सिंह, बख्तावर सिंह, जोध सिंह और करतारपुर सिंह कांग द्वारा 1967 की 647,1886,136,507,506,134 और 515 रिट याचिकाओं को अनुज्ञात किया था। दिनांक 21 मार्च, 1968 के निर्णय के विरुद्ध 1968 की लेटर्स पेटेंट अपील 340 का निर्देश दिया गया है और लेटर्स पेटेंट अपील 502 और 1968 की 511 का निर्देश उसी विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 26 जुलाई, 1968 के आदेशों के विरुद्ध दिया गया है, जिसके द्वारा उन्होंने सरमुख सिंह, गुरचरण सिंह भामरा और गुरबक्स सिंह भामरा द्वारा 1966 की 2574,1967 की 1337 और 1967 की 878 रिट याचिकाओं को अनुमति दी थी।

(3) अपीलों के पहले समूह में उत्तरदाताओं को 1 मार्च, 1956 से 9 जनवरी, 1963 तक विभिन्न तिथियों पर पंजाब लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़क शाखा) में उप-मंडल अधिकारियों के रूप में पदोन्नत और नियुक्त किया गया था। उनकी पदोन्नति के नाम और तिथियों को छोड़कर, इन सभी 13 अपीलों में अन्य भौतिक तथ्य समान हैं।

(4) अपनी पदोन्नति से पहले, देव दत्त -2 में प्रतिवादी

89 और लेटर पेटेंट अपील, 380 में प्रतिवादी करतारपुर सिंह योजना सहायक/ड्राफ्ट्समैन के रूप में काम कर रहे थे, जबकि शेष 11 उत्तरदाता ओवरसियर थे। (अनुभाग अधिकारी)

(5) 28 अक्टूबर, 1966 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से, इन सभी उत्तरदाताओं को अनुभागीय के रूप में उनकी मूल रैंक पर वापस कर दिया गया था।
अधिकारी या ड्राफ्ट्समैन, जैसा भी मामला हो। विवादित आदेश की प्रति देव दत्त द्वारा 1966 की रिट-याचिका 2457 का अनुलग्नक 'बी' है।
(अनुलग्नक के सभी संदर्भ उनकी संबंधित याचिकाओं के साथ संलग्न हैं) प्रत्यर्थी-लिखित-याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके प्रत्यावर्तन के इन आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वे पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, बिल्डिंग्स एंड रोड्स ब्रांच (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1942 (जिसे इसके बाद '1942 नियम' कहा जाता है) नियम 13 (3) द्वारा शासित थे, जिसमें उनकी जांच की अधिकतम अवधि को 3 साल तक सीमित कर दिया गया था, और उस अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, उपरोक्त नियम के संदर्भ में, वे स्वचालित रूप से उस सेवा के सदस्यों के रूप में पुष्टि हो गए, और इस तरह, अपने अधिकार में पदों पर आसीन थे, और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानों और अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित अन्य वैधानिक नियमों के साथ अनुपालन किए बिना उन्हें वापस नहीं किया जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एकमात्र बिंदु है जिसे विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा गया है, जिन्होंने यह अभिनिर्धारित किया है कि कार्यवाहक उप-मंडल अधिकारियों के रूप में पदोन्नति पर, याचिकाकर्ता 1942 के नियमों द्वारा शासित हुए और नियम 12 में वर्णित परिवीक्षा की अधिकतम अवधि की समाप्ति पर, प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं को सेवा का स्थायी सदस्य माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश नहीं। संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के अनुपालन के बाद पारित किया जाना कानून की दृष्टि से गलत था। विवादित आदेशों को रद्द करने में, पंजाब राज्य बनाम धरम सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भरोसा किया गया था [1], इसी संक्षिप्त आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने इन अपीलों में सभी 13 प्रत्यर्थियों की रिट-याचिकाओं की अनुमति दी (पहला समूह बनाना).
(6) इसलिए, पहला प्रश्न जो निर्धारित किया जाना है, वह यह है कि क्या उप-मंडल अधिकारियों के रूप में पदोन्नति पर ये 13 उत्तरदाता 1942 के नियमों द्वारा शासित थे। इस प्रश्न के उत्तर के लिए, 1942 के नियमों के भौतिक प्रावधानों पर ध्यान देना उपयोगी होगा।

(7) 1942 के नियम 11 मार्च, 1942 को पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। उन्हें पंजाब के राज्यपाल द्वारा भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 241 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (भवन और सड़क शाखा) में भर्ती को विनियमित करने और वहां नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने' के लिए तैयार किया गया था।
नियम 3 में कहा गया है:-"इन नियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी अप्रिय न हो,-

(ए)" प्रशिक्षु अभियंता "का अर्थ है आयोग के परामर्श के बाद व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए चुना गया एक योग्य व्यक्ति;

(बी)" सहायक कार्यकारी अभियंता "का अर्थ है कार्यकारी अभियंता से कम रैंक की सेवा में सभी अधिकारी;

(सी)" प्रत्यक्ष नियुक्ति "का अर्थ है सेवा में पदोन्नति या क्राउन की सेवा में पहले से ही एक अधिकारी के स्थानांतरण के अलावा अन्य तरीके से की गई नियुक्ति;

1A.l.R. 1968 S.C. 1210

(डी)" डिवीजन "का अर्थ है विभाग में एक या एक से अधिक सिविल जिलों में सामान्य रूप से एक कार्यकारी अभियंता द्वारा आयोजित प्रभार;

(ई)" इंजीनियरिंग अधीनस्थ "का अर्थ है एक उप-अभियंता, उप अधीनस्थ या सड़क और भवनों में अधीनस्थ अभियंता सेवा का पर्यवेक्षक;

(च) "कार्यपालक अभियंता" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो कार्यवाहक या मूल क्षमता में उच्चतर पद धारण करता है और जिसे प्रभागीय प्रभार के लिए नियुक्त किया जाता है;

(छ) "उच्चतर पद" से प्रभागीय प्रभार से कम महत्व का पद अभिप्रेत है;
(i) "अस्थायी अभियंता" से राज्य रेलवे या केंद्र सरकार के लोक निर्माण विभाग या प्रांतीय सरकार की सेवा में एक अभियंता अभिप्रेत है जिसकी नियुक्ति गैर-पेंशन योग्य है और जो किसी नियमित सेवा का सदस्य नहीं है;
(जे)……..
(ट) "पुरानी सेवा" से भवनों और सड़कों की शाखा में इंजीनियरों (पुरानी) की पंजाब सेवा अभिप्रेत है;

() "सेवा" से भवनों और सड़कों की शाखा में इंजीनियरों की पंजाब सेवा अभिप्रेत है।
(8) नियम 4, जिसका शीर्षक भाग 2 में है "भर्ती", में लिखा हैः-"भारतीय अभियंता सेवा के सदस्यों के पूर्व दावों के संदर्भ में राज्य के सचिव या गवर्नर-जनरल द्वारा बनाए गए किसी भी नियमों या आदेशों के अधीन, सेवा के सदस्य सेवा के सभी ग्रेडों में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, अर्थात्, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता और सहायक कार्यकारी अभियंताः बशर्ते कि-

(ए) सेवा में सभी पहली नियुक्तियां, इसके बाद दिए गए प्रावधान को छोड़कर, सहायक कार्यकारी अभियंता के पद पर होंगी;

(बी) कार्यकारी अभियंता के चयन ग्रेड या अधीक्षण अभियंता या मुख्य अभियंता के पदों पर नियुक्ति सख्त चयन द्वारा की जाएगी, और सेवा के किसी भी सदस्य को ऐसी नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।
(9) नियम 5 सेवा में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की योग्यता निर्धारित करता है। इसका भौतिक भाग इन शर्तों में हैः-"किसी भी व्यक्ति को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा। .. .. जब तक कि उसके पास-
(क)
(ख)
(ग) के पास परिशिष्ट-क में विहित विश्वविद्यालय की डिग्री या अन्य अर्हताएं न हों, बशर्ते कि पहले से ही क्राउन की सेवा में कार्यरत अप्रेंटिस इंजीनियरों और अस्थायी इंजीनियरों की पुरानी सेवा से संबंधित अधिकारियों के मामले में, सरकार, मुख्य अभियंता, भवन और सड़क शाखा की सिफारिश पर, इस नियम की आवश्यकताओं को माफ कर सकती है;

(घ) मामले में आयोग की सलाह पर प्रत्यक्ष नियुक्ति के लिए उम्मीदवार ने ऐसी संगणकीय परीक्षा या ऐसी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की है जो आयोग सेवा में नियुक्ति के लिए विहित कर सकता है; और

(ङ) नियम-6 में निम्नलिखित उपबंध हैंः- नियम 4 और 5 के प्रावधानों के अधीन, सेवा में नियुक्ति आयोग के परामर्श के बाद, निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से की जाएगीः-(1) नियम 7 के अनुसार भारत में सीधी नियुक्ति द्वारा; (2) नियम 8 के अनुसार पुरानी सेवा से संबंधित अधिकारियों और इंजीनियरों के अधीनस्थों से; (3) प्रशिक्षु इंजीनियरों से; (4) अस्थायी इंजीनियरों से (5) (6) 6) बशर्ते कि-

(क) पुरानी सेवा से संबंधित कोई अधिकारी, कोई इंजीनियरिंग अधीनस्थ और कोई प्रशिक्षु इंजीनियर या अस्थायी इंजीनियर सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे मुख्य इंजीनियर द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया गया हो; और

(ख) पुरानी सेवा से संबंधित अधिकारियों की सेवा में नियुक्ति, या इंजीनियरिंग अधीनस्थों की या प्रशिक्षु इंजीनियरों या अस्थायी इंजीनियरों की नियुक्ति चयन द्वारा की जाएगी और ऐसा कोई अधिकारी, अधीनस्थ, प्रशिक्षु इंजीनियर या अस्थायी इंजीनियर अधिकार के अनुसार ऐसी नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।

(11) अगला प्रासंगिक प्रावधान नियम 8 में है, जिसमें कहा गया हैः "जब सेवा में किसी पद पर पुरानी सेवा या इंजीनियरिंग अधीनस्थों से संबंधित अधिकारियों से नियुक्ति की जानी है, तो आयोग-(ए) सरकार द्वारा नामित उम्मीदवारों के दावों पर विचार करेगा; (बी) इसके बाद सरकार द्वारा नामित प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में सलाह देगा कि क्या उसकी योग्यता पर्याप्त है और क्या उसका रिकॉर्ड उसे सेवा में नियुक्ति के लिए अपेक्षित चरित्र और क्षमता साबित करता है; और (सी) उम्मीदवारों को वरीयता के क्रम में व्यवस्थित करेगा।

(12) "सेवा की शर्तें" शीर्षक वाले भाग III में नियम 11 में कहा गया हैः-"11 (1) सेवा के संवर्ग में 17 वरिष्ठ पद शामिल होंगे, जिनमें से दो से अधिक वेतन की चयन ग्रेड दरों पर नहीं हो सकते हैं, और उन पदों के लिए 10 पदों का प्रशिक्षण आरक्षित है, और इसके अलावा उप-विभागीय प्रभारों के लिए 11 पद, यानी 38 पदों के सभी संवर्ग में। इस संवर्ग में 6 पदों का अवकाश और प्रतिनियुक्ति आरक्षित शामिल है। सरकार के पास इन संख्याओं को बढ़ाने या कम करने की पूरी शक्तियां होंगी जो वह आवश्यक समझती है नोटः उप-मंडल प्रभार के लिए एक पद, (i.e., सहायक कार्यकारी अभियंता) अधीक्षक अभियंता (सड़कों) और सचिव, संचार बोर्ड के अस्थायी पद के संबंध में एक कार्यवाहक क्षमता में भरा जाएगा।

(2) ……..."

(13) सबसे महत्वपूर्ण नियम 12 है, जो इस प्रकार हैः-" (l)(ए) पुरानी सेवा से पदोन्नत सेवा के सदस्य परिवीक्षा पर नहीं होंगे।

(ख) पहले से ही विभाग में कार्यरत व्यक्तियों (पुरानी सेवा के सदस्यों के अलावा) से भर्ती किए गए सेवा के सदस्य और ऐसे प्रशिक्षु इंजीनियर जिनके पास दो वर्ष या उससे अधिक की प्रशिक्षुता है, एक वर्ष या उससे कम के लिए परिवीक्षा पर होंगे।

(ग) सेवा में भर्ती किए गए अन्य सभी सदस्य दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होंगे।

(2) यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान सेवा के किसी सदस्य का कार्य या आचरण, सरकार की राय में, संतोषजनक नहीं है, तो सरकार किसी भी समय उसकी सेवाओं से वंचित कर सकती है यदि सीधी भर्ती की जाती है, या

यदि अन्यथा भर्ती की जाती है तो उसे अपने पूर्व पद पर वापस कर दें।

(3) किसी सदस्य की परिवीक्षा अवधि के समापन पर, सरकार ऐसे सदस्य की नियुक्ति में पुष्टि कर सकती है, या यदि उसका कार्य, सरकार की राय में, संतोषजनक नहीं रहा है, तो सरकार प्रत्यक्ष भर्ती होने पर उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकती है, या यदि उसे अन्यथा भर्ती किया जाता है तो उसे उसके पूर्व पद पर वापस कर सकती है, या उसकी परिवीक्षा अवधि को ऐसी अवधि तक बढ़ा सकती है जो वह उचित समझे, और परिवीक्षा की ऐसी विस्तारित अवधि की समाप्ति पर ऐसे आदेश पारित कर सकती है जो वह परिवीक्षा की पहली अवधि की समाप्ति पर पारित कर सकती थी, बशर्ते कि परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक न हो।

(4) सरकार इस नियम के तहत किसी अधिकारी की नियुक्ति को समाप्त करने का कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगी।

(14) नियम 14 में कहा गया है कि 1 सहायकः कार्यपालक अभियंता को तब तक कार्यपालक अभियंता के मूल पद पर पदोन्नत किया जाता है जब तक कि उसे सरकार द्वारा किसी प्रभाग आदि के प्रभार के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया जाता है।

(15) रूई नियम '415 (4) में यह उपबंध है कि-मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता के पदों पर आसीन सदस्यों की अपेक्षा उनकी सेवा के सदस्य, जो उपनियम (1) (2) और (3) में विनिर्दिष्ट हैं, परिशिष्ट-घ में दर्शाई गई साधारण दरों पर संदाय करने के हकदार होंगे। इस नियम का एक परन्तुक है, जिसमें कहा गया हैः-"बशर्ते कि-(क) कनिष्ठ पैमाने पर वेतन एक प्रभाग से कम महत्व के प्रभार वाले सदस्य द्वारा लिया जाएगा; (ख) नीचे दिए गए खंड (ङ) में दिए गए प्रावधान के अलावा, एक प्रभाग से कम महत्व का प्रभार रखने वाला अधिकारी उस स्तर पर वरिष्ठ पैमाने पर वेतन लेगा जो रुपये के कनिष्ठ पैमाने में प्राप्त वेतन के अनुरूप है। 475 जो भी अधिक हो; *

नियम 18 भी सामग्री है। इसमें कहा गया हैः "सेवा के सदस्य; बशर्ते कि उन्होंने पहले ही ऐसा नहीं किया है, उन्हें ऐसी परीक्षाओं को पास करने की आवश्यकता होगी और ऐसी अवधि के भीतर जो पंजाब लोक निर्माण विभाग संहिता में निर्धारित हैं, बशर्ते कि सरकार उन अवधियों को बढ़ा सकती है जिनके भीतर किसी सदस्य को ऐसी परीक्षाओं को पास करने की आवश्यकता होती है, या किसी भी सदस्य को ऐसी किसी भी या सभी परीक्षाओं को पास करने से छूट दे सकती है।

(16) नियम 21 यह स्पष्ट करता है कि अनुशासन, दंड और अपील से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1940 द्वारा शासित होंगे।

(17) नियम 15 में निर्दिष्ट परिशिष्ट डी इंगित करता है कि कनिष्ठ वेतन रु। 300-25-700, जबकि वरिष्ठ पैमाने पर रु। 475-25-700-30-1,000

(18) अधिसूचना द्वारा सं. 1994-BRI /60/9268, दिनांक 8 मार्च, 1960, पंजाब सरकार के गजट में 18 मार्च, 1960 को प्रकाशित, पंजाब के राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, कलास I, P.W.D. (भवन और सड़क शाखा) नियम, 1960 (जिसे इसके बाद '1960 नियम' कहा जाता है) पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, क्लास I, P.W.D में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करता है। (इमारतें और

सड़कें शाखा) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख (18 मार्च, 1960) से लागू हुए।

(19) इन नियमों का नियम 24, 1942 के नियमों को स्पष्ट रूप से निरस्त करता है। इस नियम के प्रावधान में कहा गया हैः "बशर्ते कि निरस्तीकरण, इसके द्वारा निरसित नियमों के प्रावधानों के तहत की गई किसी भी कार्रवाई या पारित किसी भी आदेश को प्रभावित नहीं करेगा और की गई कार्रवाई या पारित किए गए आदेशों को इन नियमों के सुधारात्मक प्रावधानों के तहत लिया गया या पारित किया गया समझा जाएगा।नियम 2 (5) "वर्ग II सेवा" को भवन और सड़क शाखा, हरियाणा राज्य बनाम देव दत्त गुप्ता और एक अन्य (सरकारिया, जे) में 'पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, वर्ग II' के रूप में परिभाषित करता है। और इसमें, प्रथम श्रेणी की सेवा में पदोन्नति और वरिष्ठता के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए, अस्थायी सहायक अभियंता शामिल हैं जब एक उपयुक्त द्वितीय श्रेणी अधिकारी उपलब्ध नहीं है। नियम 2 के उप-नियम (2) में कहा गया है कि "सहायक कार्यकारी अभियंता" का अर्थ है 'कनिष्ठ वेतनमान में सेवा का सदस्य'। (20) नियम 2 (14) 'सेवा' को 'पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, क्लास I, P.W.D' के रूप में परिभाषित करता है। (इमारतें और सड़कें शाखा) '

(21) नियम 3 सेवा की शक्ति का वर्णन करता है। नियम 3 (1) 'संवर्ग पद' को सेवा में एक स्थायी पद के रूप में परिभाषित करता है।

(22) नियम 5 में यह उपबंध है कि सेवा में भर्ती निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से की जाएगीः-(क) प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा। (ख) पहले से ही किसी राज्य सरकार या संघ की सेवा में कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण द्वारा; (ग) द्वितीय श्रेणी की सेवा से पदोन्नति द्वारा।

(23) नियम 5 के उपनियम (2) में कहा गया है कि सेवा में भर्ती इस तरह से विनियमित की जाएगी कि सहायक कार्यकारी अभियंताओं के पदों को छोड़कर, कक्षा II सेवा से पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों की संख्या सेवा में पदों की संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस उप-नियम में एक प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि जब तक पर्याप्त संख्या में सहायक निष्पादक अभियंता, जो योग्य हैं और पदोन्नति के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, उपलब्ध हैं, तब तक द्वितीय श्रेणी की सेवा से पदोन्नत अधिकारियों का वास्तविक प्रतिशत पचास प्रतिशत से अधिक हो सकता है।

(24) 11 फरवरी, 1965 की अधिसूचना द्वारा, पंजाब के राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, क्लास II, P.W.D. (भवन और सड़क शाखा) नियम। 1965 (जिसे इसके बाद 'वर्ग II 1965 नियम' कहा जाता है) जो पंजाब सरकार के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख फरवरी, 1965 से लागू हुआ।

(25) नियम 2 (3) "सहायक अभियंता" को उप-मंडल के प्रभारी अधिकारी के रूप में परिभाषित करता है और इसमें P.W.D., B. & आर. शाखा. इसी नियम का खंड (6) "वर्ग I सेवा" को पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, वर्ग I, P.W.D के रूप में परिभाषित करता है। (इमारतों. और सड़कों शाखा) P.W.D. (सिंचाई शाखा) और P.W.D. (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा)

(26) नियम 3 में कहा गया है कि सेवा का गठन इन नियमों के प्रारंभ में, या उसके बाद जितनी जल्दी हो सके, परिशिष्ट जी में निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

(27) नियम 4 (1) में यह प्रावधान है कि सेवा में सहायक अभियंताओं के पदों की ऐसी संख्या शामिल होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जाए,

(28) नियम 6 उन स्रोतों और अनुपातों को निर्धारित करता है जिनमें सेवा में भर्ती की जानी है। उप-नियम (5) में लिखा है-"(5) कोई भी व्यक्ति, उप-नियम (4) के तहत प्रदान की गई सीमा को छोड़कर- (ए) जो P.W.D. का मूल सदस्य नहीं है। (इमारतों और सड़कों शाखा) कक्षा II सेवा या P.S.E का सदस्य। (बी। (क) इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख को जूनियर स्केल में प्रथम श्रेणी की सेवाः या (ख) जिसे परिशिष्ट 'ग' के साथ पठित नियम 7 में दिए गए प्रावधान के अनुसार सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, वह एक उप-मंडल अधिकारी का पद धारण करेगा, यहां तक कि एक कार्यवाहक में भी क्षमता, जब तक कि उसे इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, इन नियमों के प्रावधानों के तहत सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया जाता है।

नियम 9 में कहा गया है कि पंजाब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलकर एक समिति, या, जहां अध्यक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है, आयोग का कोई अन्य सदस्य, सचिव, P.W.D., भवन और सड़क शाखा, और मुख्य अभियंता P.W.D., भवन और सड़क, का गठन किया जाएगा। उपनियम (4) में कहा गया है कि समिति सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त अधिकारियों की एक सूची तैयार करेगी। ऐसी सूची में शामिल करने के लिए चयन वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए सभी मामलों में योग्यता और उपयुक्तता पर आधारित होगा। उपनियम (8) में कहा गया है कि इस प्रकार तैयार की गई सूची सरकार द्वारा आयोग को भेजी जाएगी। आयोग सूची में परिवर्तन कर सकता है और जिस सूची को वह उपयुक्त मानता है, उसे राज्य सरकार को भेज सकता है। सेवा में नियुक्ति सरकार द्वारा उस सूची से की जाएगी जिसमें आयोग द्वारा नाम रखे गए हैं,

(29) परिशिष्ट जी का सामग्री भाग संदर्भित है। नियम 3 (1) पढ़ता है

"परिशिष्ट 'जी'

(नियम 3 देखें) 1, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर, सेवा में शामिल होंगेः-(ए) ऐसे अधिकारी जो द्वितीय श्रेणी की सेवा में सहायक अभियंता के पदों पर हैं, जैसा कि इन नियमों के प्रारंभ से तुरंत पहले मौजूद था (इसके बाद मौजूदा द्वितीय श्रेणी की सेवा के रूप में संदर्भित) (बी) ऐसे अधिकारी जो सहायक अभियंता के पदों पर नहीं हैं, लेकिन जिन्हें अस्थायी सहायक अभियंता के पद के लिए आयोग के अनुमोदन से सीधी भर्ती द्वारा चुना गया था; और (सी) ऐसे अधिकारी जो पर्याप्त क्षमता में सहायक अभियंता के पदों पर नहीं हैं, लेकिन जिनका चयन आयोग के अनुमोदन से किया गया था, P.W.D के सदस्यों से। (बी। अनुभागीय अधिकारी (इंजीनियरिंग) 1 उप-मंडल अधिकारी या सहायक अभियंता के रूप में कार्य करने के लिए सेवा या ड्राफ्ट्समैन और ट्रेसर सेवा।

(घ) उपरोक्त खंड (ख) और (ग) में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अधिकारी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अस्थायी सहायक अभियंता या कार्यवाहक उप-मंडल अधिकारी हैं, लेकिन जिन्हें आयोग के अनुमोदन से वर्तमान द्वितीय श्रेणी की सेवा के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया गया है, उन्हें इन नियमों के तहत गठित सेवा के सदस्य नहीं माना जाएगा, भले ही उन्हें लोक सेवा आयोग के अनुमोदन से अस्थायी सहायक अभियंता या कार्यवाहक उप-मंडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो। आयोग द्वारा इन नियमों के अनुसार सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किए जाने पर वे पैराग्राफ 2 में दिए गए सेवा के सदस्य बन जाएंगे।

2. वे अधिकारी, जो उपर्युक्त पैराग्राफ 1 के खंड (घ) के अनुसार इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को सेवा के सदस्य नहीं हैं, लेकिन नियम 9 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किए गए हैं, उन्हें सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किए जाने के समय मौजूद रिक्तियों की

संख्या की सीमा तक सेवा का सदस्य माना जाएगा और जो अधिकारी मौजूदा रिक्तियों पर अवशोषित नहीं हो सकते हैं, उन्हें स्वीकृत पूर्व-संवर्ग पदों के खिलाफ नियुक्त किया जाएगा।

*: * * * '* "

(30) बलराम सिंह के मामले में दायर रिटर्न में (लेटर्स पेटेंट अपील)। 1968 का 286) प्रत्यर्थी-राज्य ने यह स्थिति ग्रहण की है कि 1942 के नियम याचिकाकर्ताओं के मामले को नियंत्रित नहीं करते थे, इस साधारण कारण से कि उपरोक्त नियम केवल सहायक कार्यकारी अभियंताओं और उच्च पदों से युक्त प्रथम श्रेणी की सेवा पर लागू होते हैं। आगे यह दलील दी जाती है कि याचिकाकर्ताओं को उक्त नियमों के परिशिष्ट 'जी' के पैराग्राफ 1 (डी) के साथ कक्षा II 1965 के नियम 6 (5) (बी) के मद्देनजर पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, क्लास II में कभी भी भर्ती नहीं किया गया था, क्योंकि पंजाब लोक सेवा आयोग ने उन्हें उपयुक्त नहीं माना था। इसलिए, उन्हें उनकी सेवा के नियमों और शर्तों के अनुसार उनके मूल पद पर वापस भेज दिया गया था, न कि सजा के रूप में।

(31) 1942 के नियम, 1960 के नियम और 1965 के द्वितीय श्रेणी के नियमों के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि कार्यवाहक उप-मंडल अधिकारी, सहायक कार्यकारी अभियंता नहीं होने के कारण, 1942 के नियमों द्वारा शासित नहीं थे। प्रत्यर्थियों में से किसी ने भी अपनी रिट-याचिका में यह दलील नहीं दी कि वह किसी भी क्षमता में सहायक कार्यकारी अभियंता का पद धारण कर रहे हैं। तथापि, विद्वत एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया है कि 1942 के नियमों के नियम 3 (ख) में दी गई 'सहायक कार्यकारी अभियंता' की अवज्ञा में प्रत्यक्षतः 'उप-विभागीय अभियंता' शामिल हैं। अपीलार्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उस व्याख्या की शुद्धता पर हमला किया है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि विद्वान एकल 'न्यायाधीश ने उस परिभाषा में दिखाई देने वाले' सेवा में 'शब्दों के महत्व की अनदेखी की है। वकील का कहना है कि इन शब्दों का सही अर्थ खोजा जाना चाहिए।

(32) जाहिर है, इसका मतलब है कि एक कार्यकारी अभियंता की तुलना में निचले रैंक के सभी अधिकारी, जिन्हें 'सहायक कार्यकारी अभियंता' कहा जा सकता है, सेवा के संवर्ग में पैदा होने वाले अधिकारी होने चाहिए। नियम 3 के खंड (एम) में दी गई 'सेवा' की परिभाषा सहायक नहीं है। इसलिए, 'सेवा में' शब्दों को एक अर्थ दिया जाना है, जो 1942 के नियमों की योजना और अन्य प्रावधानों के अनुरूप है। इस सेवा में रैंक या ग्रेड के लिए एक निश्चित सुराग नियम 4 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार, सेवा के केवल चार ग्रेड हैं, अर्थात् मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता और सहायक कार्यकारी अभियंता। परंतुक इस मामले को सभी संदेहों से परे रखता है जब यह कहता है कि आम तौर पर, सेवा में सभी पहली नियुक्तियां सहायक कार्यकारी अभियंता के पद पर होंगी।

(33) प्रत्यर्थियों की ओर से यह प्रचार किया गया था कि 1942 के नियमों के नियम 11 और उसके तहत संलग्न नोट से पता चलता है कि इन नियमों के प्रारंभ में, 38 पदों के संवर्ग में उप-मंडल प्रभार के 11 पद थे और उप-मंडल प्रभार रखने वाला एक अधिकारी इन नियमों के अर्थ के भीतर एक सहायक कार्यकारी अभियंता के समान रैंक रखता था। यह इंगित किया गया था कि नियम 3 (ई) में दी गई 'इंजीनियरिंग अधीनस्थ' की परिभाषा में एक उप-मंडल अभियंता या एक सहायक अभियंता शामिल नहीं है, और एक बार यह माना जाता है कि एक उप-मंडल अधिकारी, एक कार्यकारी अभियंता की तुलना में रैंक में कम अधिकारी होने के नाते, 'इंजीनियरिंग अधीनस्थ' की परिभाषा के भीतर नहीं आता है, वह स्वचालित रूप से नियम 3 में दी गई 'सहायक कार्यकारी अभियंता' की परिभाषा के भीतर आ जाएगा।

(34) मुझे डर है, इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि 1942 के नियमों के विभिन्न प्रावधानों की योजना और भाषा से यह स्पष्ट है कि उप-मंडल प्रभार के 11 पद सहायक कार्यकारी अभियंताओं के पास हो सकते हैं, इसके विपरीत यह प्रस्ताव कि सभी उप-मंडल अधिकारी सहायक कार्यकारी अभियंता हैं और सेवा के सदस्य हैं, सही नहीं है। 1942 में जब इन नियमों को लागू किया गया था, तब पंजाब एक विशाल प्रांत था। इस P.W.D में बड़ी संख्या में सब-डिवीजन थे। विभाग। इनमें से केवल 11 पदों को इन नियमों द्वारा शासित पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया था, फिर से, इस उच्च सेवा के कैडर में कुल 38 पद शामिल थे।

(35) दो अन्य परिस्थितियाँ हैं जो इस निष्कर्ष को मजबूत करती हैं कि 1942 के नियम उत्तरदाताओं के मामले को नियंत्रित नहीं करते थे। पहला यह है कि सेवा में जूनियर-स्केल, जैसा कि परिशिष्ट 'डी' में दिया गया है, रु। 300-25-700, जबकि उत्तरदाताओं को रुपये के पैमाने में कार्यवाहक उप-मंडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। 250-25-750। दूसरा यह है कि 1942 के नियमों को 1960 के नियमों के नियम 24 द्वारा स्पष्ट रूप से निरस्त कर दिया गया था। पुनः अधिनियमित 1960 के नियम स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होते थे, जिन्हें किसी भी हिसाब से प्रथम श्रेणी सेवा का सदस्य नहीं कहा जा सकता था। 1960 के नियमों ने द्वितीय श्रेणी की सेवा की वैधानिक परिभाषा दी। हालांकि यह परिभाषा बहुत विशिष्ट नहीं है, इसमें एक स्पष्ट संकेत है कि कक्षा II सेवा में सहायक अभियंता, i.e., सहायक कार्यकारी अभियंताओं की तुलना में रैंक में कम अधिकारी शामिल थे। 1960 के नियमों के नियम 24 की भाषा, विशेष रूप से इसके परंतुक से संकेत मिलता है कि ये नियम उसी सेवा की भर्ती और शर्तों को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों को तुरंत निरस्त और फिर से लागू कर रहे हैं, जिन पर 1942 के नियम लागू थे। जबकि 1960 के नियमों में द्वितीय श्रेणी की सेवा की परिभाषा और नियम 24 को निरस्त करने की भाषा इस निष्कर्ष को मजबूत करती है कि 1942 के नियम सहायक अभियंताओं या उप-मंडल अधिकारियों पर लागू नहीं थे, जो सहायक कार्यकारी अभियंता या उच्चतर पद पर नहीं थे, यह यह भी दर्शाता है कि 1942 के नियम 18 मार्च, 1960 से अस्तित्व में नहीं थे।

(36) इस चर्चा के प्रयोजन के लिए, उत्तरदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित करना सुविधाजनक हो सकता हैः-(ए) जिन्हें 1942 के नियमों के निरसन के बाद पदोन्नत किया गया था; (बी) जिन्हें ऐसे निरसन से पहले तीन वर्षों के भीतर पदोन्नत किया गया था; और (ई) जिन्हें ऐसे निरसन से पहले तीन साल से अधिक पदोन्नत किया गया था।

(37) लेटर्स पेटेंट में उत्तरदाता देव दत्त, दसौंदी राम, बलबीर सिंह, जगदीश सिंह, सूरत सिंह, करतारपुर सिंह, सरमुख सिंह और गुरबक्श सिंह को पदोन्नत किया गया।
दिसंबर, 1962,30 अगस्त, 1960,30 जुलाई, 1960,30 जुलाई, 1960,12 अगस्त, 1960,9 जनवरी, 1963,25 मई, 1961 और 10 मई, 1963 क्रमशः। वे पहली श्रेणी में आते हैं। कल्पना के किसी भी विस्तार से, वे 1942 के नियमों में किसी भी चीज़ के संरक्षण का दावा नहीं कर सकते थे, जिन्हें उनकी पदोन्नति से पहले निरस्त कर दिया गया था।

(38) लेटर्स पेटेंट में प्रत्यर्थी आर. आर. भनोट, जोध सिंह और गुरचरण सिंह 375,379 और 502 को क्रमशः 10 दिसंबर, 1959,5 नवंबर, 1959 और 17 दिसंबर, 1957 को कार्यवाहक उप-मंडल अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया था, और इस तरह, दूसरी श्रेणी में आते हैं। यह मानते हुए-लेकिन यह नहीं मानते हुए-कि वे 1942 के नियमों द्वारा शासित थे, तब भी उन नियमों के निरसन की

तारीख को, उन्होंने परिवीक्षा की अधिकतम अवधि पूरी नहीं की थी, और इसलिए, उप-मंडल अधिकारी का मूल दर्जा केवल नियम 12 द्वारा निर्धारित उनकी अधिकतम परिवीक्षा अवधि के प्रवाह से प्राप्त नहीं कर सकते थे(3).

(39) लेटर्स पेटेंट 377 और 373 में 'आर. जे. आई. एस' उत्तरदाता शमशेर I सिंह, i बख्तावर सिंह को क्रमशः 22 अक्टूबर, 1956 और 1 मार्च, 1956 को पदोन्नत किया गया था, जो तीसरी श्रेणी में आते हैं। उन दोनों को तत्कालीन पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ में पदोन्नत किया गया था। यह नहीं दिखाया गया है कि पेप्सू में उप-मंडल अधिकारियों के रूप में उनकी सेवा शर्तों और नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले कोई वैधानिक नियम थे। विवादित आदेशों की तारीख को उन्होंने कार्यवाहक उप-मंडल अधिकारियों के रूप में दस साल से अधिक की सेवा की थी। उनका मामला निश्चित रूप से कठिन है। हालांकि, इसमें शामिल कानूनी बिंदु के उद्देश्य के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि, जैसा कि पहले ही माना जा चुका है, 1942 के नियम तीन श्रेणियों में से किसी में भी किसी भी प्रतिवादी के मामले को नियंत्रित नहीं करते थे।

(40) प्रश्न यह है कि क्या ऐसी स्थिति में उत्तरदाता संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के संरक्षण के हकदार थे। यह आगे इस मुद्दे में खुद को हल करेगाः क्या उत्तरदाताओं को ओवरसियर/ड्राफ्ट्समैन के उनके मूल पद पर वापस करना संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के विचार के भीतर "रैंक में कमी" के बराबर है। सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप्स द्वारा पार और होताम लाई भमायरा बनाम भारत संघ,[2] (2) में यह इंगित किया गया था कि इस मुद्दे के निर्धारण के लिए दो परीक्षणों का आह्वान किया जाना चाहिए। वे हैंः- (1) क्या सरकारी कर्मचारी को पद या पद धारण करने का अधिकार था, और-(2) क्या उसे बुरे परिणामों के साथ देखा गया था।

यदि इनमें से कोई भी परीक्षण संतुष्ट हो जाता है, तो यह माना जाना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी को दंडित किया गया है और उसका प्रत्यावर्तन संविधान के अनुच्छेद 311 के दायरे में रैंक में कमी के बराबर है।

(41) हाथ में मामलों के तथ्यों के लिए पहले परीक्षण को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि इन तेरह अपीलों में प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं को विशुद्ध रूप से कार्यवाहक आधार पर नियुक्त किया गया था। चूंकि 1942 के नियम उनकी नियुक्तियों को कार्यवाहक आधार पर नियंत्रित नहीं करते थे, इसलिए वे केवल कार्यवाहक क्षमता में उन पदों पर बने रहे, जब तक कि उनकी वापसी नहीं हो गई। अगर यह तर्क के लिए भी माना जाए कि उन्हें परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था, तो भी उन्हें केवल समय के प्रवाह से उन पदों पर बने रहने का अधिकार नहीं मिलेगा। उस स्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुखबंस सिनह बनाम पंजाब राज्य[3]में निर्धारित और पंजाब राज्य बनाम सुख राज बहादुर[4]में दोहराया गया सिद्धांत लागू होगा। प्रभाव यह है कि सेवा नियमों में स्पष्ट रूप से या आवश्यक कार्यान्वयन द्वारा उस पाठ्यक्रम की गारंटी देने वाली किसी भी चीज़ के अभाव में, सिविल सेवक परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त होने के कारण, एक ठोस नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां किसी व्यक्ति को कार्यवाहक क्षमता में उच्च पद पर नियुक्त किया जाता है, वह किसी भी अवधि के लिए उस पद

---

2 1958 S.C.R. 828
3 A.I.R. 1962 S.C., 1711.
4 A..I.R 1968 SC 1089

को धारण करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं करता है। यदि उस उच्च पद पर उसका कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, जिस पर वह कार्य कर रहा है, तो अपने मूल पद के प्रति उसका सम्मान अनुच्छेद 311 के अर्थ के भीतर 'रैंक' में कमी के बराबर नहीं होगा।(2). पहला ऐसा न हो कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जाए।

(42) जहां तक दूसरे परीक्षण का संबंध है, प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का तर्क है, कि उनके प्रत्यावर्तन से न केवल परिलब्धियों का नुकसान होगा और भविष्य के समय को स्थगित कर दिया जाएगा और पदोन्नति की संभावना, लेकिन इसके चेहरे पर आक्षेपित आदेश, एक कलंक वहन करता है क्योंकि यह घोषणा करता है कि उत्तरदाताओं P.S.E को नियुक्ति के लिए "उपयुक्त नहीं हैं"। कलास II सेवा। इस कलंक के कारण, यह आग्रह किया जाता है कि विवादित आदेश एक सजा के रूप में कार्य करता है और संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अर्थ के भीतर 'रैंक में कमी' के बराबर है। इस तर्क के समर्थन में, पंजाब राज्य बनाम गोपी किशोर प्रसाद,[5] जगदीश मित्तर बनाम भारत संघ,[6] पंजाब राज्य बनाम दर्शन सिंह, [7]और शशि भूषण पॉल बनाम पंजाब राज्य, [8].

(43) दूसरी ओर, विद्वान महाधिवक्ता अपीलार्थी राज्य की ओर से उपस्थित होता है, व तर्क करता है कि किसी परिवीक्षाधीन का निर्वहन या किसी कार्यवाहक सरकारी कर्मचारी का केवल असंतोषजनक कार्य या उच्च पद के लिए अयोग्यता के आधार पर उसकी सेवा के नियमों और शर्तों के अनुसार उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तन, कभी भी दंड के बराबर नहीं होता है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि वर्तमान मामलों में, 19 फरवरी, 1965 को प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ताओं पर लागू वर्ग II, 1965 नियमों के प्रवर्तन के बाद, उत्तरार्द्ध को स्थायी रूप से वर्ग II सेवा में बनाए रखा जा सकता है या अवशोषित किया जा सकता है, केवल स्क्रीनिंग समिति और राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर नियम 9 के अनुसार, जिसे परिशिष्ट 'जी' के पैराग्राफ 1 (डी) और 2 के साथ पढ़ा जाता है। यह जोड़ा गया है कि, परिणामस्वरूप, सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया, जिसने सलाह दी कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता वर्ग II सेवा में अवशोषण के लिए उपयुक्त नहीं थे। आक्षेपित आदेश से केवल यह पता चलता है कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं को उनकी सेवा के अनुबंध के अनुसार वापस कर दिया गया है। इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि इसके विपरीत किसी भी वैधानिक नियमों के अभाव में, किसी व्यक्ति के कार्यवाहक क्षमता में रोजगार का तात्पर्य यह है कि उसकी पुष्टि या रखरखाव केवल तभी किया जाएगा जब परीक्षण के बाद, वह पद के लिए उपयुक्त पाया जाता है। इन परिस्थितियों में, यह कहा जाता है कि आक्षेपित आदेश एक सजा के रूप में काम नहीं करता है, बहुत कम इसमें एक कलंक होता है। इसके लिए रिलायंस को उड़ीसा राज्य बनाम राम नारायण दास में सर्वोच्च न्यायालय के कथन पर रखा गया है, [9].

(44) ऐसा प्रतीत होता है कि इस बिंदु पर विद्वान महाधिवक्ता का तर्क प्रबल होना चाहिए। विवादित आदेश का सामग्री भाग इस प्रकार हैः-"भारत के राष्ट्रपति, लोक सेवा आयोग के परामर्श से, पंजाब P.W.D. के निम्नलिखित कार्यवाहक उप-मंडल अधिकारियों पर विचार नहीं करते हैं। (B & R शाखा)

---

5 A.I.R. I 960 S.C. 689

6 A.I.R. 1964 S.C. 449

7 1968 S.L.R. 734

8 1969 S.L.R. 221

9 A.I R, 11961 S.C 17

P.S.E., कक्षा II (B & R शाखा) में नियुक्ति के लिए उपयुक्त है और तदनुसार उन्हें तत्काल प्रभाव से नीचे दिए गए संकेत के अनुसार वापस कर दिया जाता है।

बार में उद्धृत सभी मामलों की चर्चा के साथ इस निर्णय पर अधिक बोझ डालना आवश्यक नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि भारत संघ बनाम आर. एस. ढबबास [10] में उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप्स का नवीनतम उद्घोष प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ताओं के विवाद का पूर्ण उत्तर प्रस्तुत करता है। आर. एस. ढाबा के मामले में तथ्य यह थे कि वे आयकर विभाग में स्थायी अपर डिवीजन क्लर्क थे और 25 अक्टूबर, 1951 को उन्हें कार्यवाहक क्षमता में आयकर निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था। 8 अप्रैल, 1953 को उन्हें "अगले आदेश तक आयकर अधिकारी, कक्षा II, ग्रेड III के रूप में कार्य करने के लिए पदोन्नत किया गया था।" 22 मई, 1964 को उन्हें एक आदेश द्वारा आयकर अधिकारी के अपने कार्यवाहक पद से वापस भेज दिया गया था, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः-"श्रीरीआर. जे. आई. एस. दबबास कार्यवाहक आयकर अधिकारी, वर्ग I1I, आयकर अधिकारी, वर्ग II के पद को धारण करने के लिए परीक्षण के बाद अनुपयुक्त पाए जाने पर, तत्काल प्रभाव से कार्यवाहक निरीक्षक, आयकर के रूप में वापस कर दिया जाता है।

(45) आर. एस. ढबबास की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि उनके प्रत्यावर्तन का आदेश दंड के रूप में दिया गया था और अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानों को आकर्षित किया गया था। यह कहा गया था कि आयुक्त, आक्षेपित आदेश देने में, प्रतिवादी के खिलाफ उसकी ईमानदारी के बारे में शिकायतों से काफी हद तक प्रभावित था, जबकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह आयकर अधिकारी के पद के लिए उपयुक्त नहीं था। इस विवाद को उनके प्रभुओं ने इन टिप्पणियों के साथ खारिज कर दियाः-"हम श्री सेन के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि प्रत्यावर्तन का आदेश चरित्र में दंडात्मक है और संविधान के अनुच्छेद 311 (2) की प्रक्रिया इस मामले के लिए उपयुक्त है। प्रत्यावर्तन के क्रम में, दिनांक 22 मई, 1964, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि प्रत्यर्थी के साथ एक कलंक संलग्न किया गया था। प्रत्यर्थी की सत्यनिष्ठा पर आरोप का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है और एकमात्र कारण यह दिया गया है कि प्रत्यर्थी क्रमशः दिसंबर, 1962,30 अगस्त, 1960,30 जुलाई, 1960,30 जुलाई, 1960,12 अगस्त, 1960,9 जनवरी, 1963,25 मई, 1961 और 10 मई, 1963 को पाया गया था। वे पहली श्रेणी में आते हैं। कल्पना के किसी भी विस्तार से, वे 1942 के नियमों में किसी भी चीज़ के संरक्षण का दावा नहीं कर सकते थे, जिन्हें उनकी पदोन्नति से पहले निरस्त कर दिया गया था।

(46) आर. एस. ढाबा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हमारे समक्ष मामलों के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है। आक्षेपित आदेश में पाठ, 'कि राष्ट्रपति, लोक सेवा आयोग के परामर्श से, प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ताओं को P.S.E., कक्षा II सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया, केवल यह दिखाने के लिए किया गया था कि ये प्रत्यावर्तन प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं के रोजगार को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार किए जा रहे थे, और मनमाने ढंग से नहीं।

(47) परशोतम लाई ढींगरा बनाम भारत संघ के मामले के अतिरिक्त, (2) आर. एस. ढाबा के मामले में उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपत्य, चंपकलाल चिमनलाल शाह बनाम भारत संघ, [11]बॉम्बे राज्य

---

10 **1**969 Cur. L.J. 461.
11(1964) 5 S.C.R. 190

बनाम एफ. ए. अब्राहम, [12] आई. एन. सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य,[13] जसबीर सिंह बेदी बनाम भारत संघ[14].

(48) एफ. ए. अब्राहम के मामले (12) में प्रत्यर्थी, जो पुलिस निरीक्षक का मूल पद रखता था, पुलिस उपाधीक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। उन्हें प्रत्यावर्तन के संबंध में सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना अपने मूल पद पर वापस कर दिया गया था। उनके वापस लौटने के कारणों को प्रस्तुत करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। बाद में, उनके खिलाफ दुर्व्यवहार के कुछ आरोपों के संबंध में विभागीय जांच की गई, लेकिन ये आरोप जांच में साबित नहीं हुए। तथापि,पुलिस महानिरीक्षक, बाद में, सरकार को लिखा कि प्रतिवादी के पिछले अभिलेख संतोषजनक नहीं था और उन्हें इस उम्मीद में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए पदोन्नत किया गया था कि वह एक नया पन्ना बदल देंगे, लेकिन गोपनीय ज्ञापन में की गई शिकायत इस बात का स्पष्ट प्रमाण थी कि प्रतिवादी आदतन बेईमान था और पदोन्नति के योग्य नहीं था। अब्राहम के प्रत्यावर्तन का आदेश सरकार द्वारा बनाए रखा गया था। इसके बाद उन्होंने आदेश को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा उच्च न्यायालय तक चला गया। आगे की अपील पर, सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को उलट दिया और मुकदमे को खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपति द्वारा यह अवलोकन किया गया था कि एक व्यक्ति जिसे अपनी उपयुक्तता का परीक्षण करने के लिए एक कार्यवाहक पद दिया जाता है, जिसे बाद में स्थायी बनाया जाना है, यह निहित शब्द पर मानता है कि यदि वह अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसे वापस करना होगा। अयोग्यता के आधार पर ऐसे मामले में प्रत्यावर्तन उन शर्तों के अनुसार एक कार्रवाई है जिन पर कार्यवाहक पद आयोजित किया जा रहा था और सजा के रूप में रैंक में कमी नहीं है। यह आगे देखा गया कि उस मामले में की गई विभागीय जांच से यह साबित नहीं हुआ कि प्रतिवादी को सजा के रूप में वापस भेज दिया गया था, क्योंकि सरकार को उस पद के लिए प्रतिवादी की उपयुक्तता पर विचार करने का अधिकार था, जिसके लिए उसे कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था।

(49) तत्काल मामलों के तथ्य आर. एस. ढाबा के मामले के समान हैं। (10), वर्तमान मामलों में भी, प्रत्यर्थी याचिकाकर्ताओं को इस समझ पर उप-विभागीय अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था कि यदि वे उच्च पद के लिए अनुपयुक्त पाए जाते हैं, तो वे अपने मूल पद पर लौट आएंगे। हालांकि कार्यवाहक उप-मंडल अधिकारियों के रूप में उनकी पदोन्नति के समय, वे 1942 के नियमों या इस विषय पर किसी अन्य वैधानिक नियमों द्वारा शासित नहीं थे, फिर भी द्वितीय श्रेणी, 1965 के नियमों के लागू होने पर, उन नियमों के तहत गठित द्वितीय श्रेणी की सेवा में उनके स्थायी अवशोषण का सवाल तुरंत उठा। जाहिर है, इसके बाद, सरकार ने परिशिष्ट 'जी' के पैराग्राफ 1 (डी) और 2 के अनुसार, जिसे कक्षा II 1965 नियमों के नियम 9 के साथ पढ़ा गया, लोक सेवा आयोग से परामर्श किया, जिसने पाया कि प्रस्ताव कक्षा II सेवा में स्थायी अवशोषण के लिए अनुपयुक्त थे। सरकार ने उस सलाह को स्वीकार कर लिया और 1965 के वैधानिक नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उत्तरदाताओं के रोजगार की निहित शर्त के संदर्भ में विवादित आदेश पारित किया।

(50) इस मुद्दे पर चर्चा समाप्त करने से पहले, पंजाब राज्य बनाम दर्शन सिंह मामले में इस न्यायालय के खंड पीठ के फैसले का उल्लेख करना उचित होगा। (7). दर्शन सिंह छुट्टी आरक्षित रिक्ति में दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अस्थायी निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे। 29 सितंबर, 1960 को, श्रम मिशनर

12(1962) 2 supp. S.C.R. 9

13A.I.R. 1967 S.C. 1264

14 1968 S.C.C 447

ने दर्शन सिंह को लिखा कि विभिन्न वर्गों से उनके काम और आचरण के बारे में कई शिकायतें आई थीं, कि निरीक्षण पर, मुख्य निरीक्षक ने अपने अधिकार क्षेत्र में पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया था, और उनकी संदिग्ध ईमानदारी और अक्षम काम के कारण उन्हें सरकारी सेवा में बनाए रखने के लिए अयोग्य माना गया था। प्रत्यर्थी को इस पत्र का अपना लिखित उत्तर देने के लिए कहा गया था, जो उन्होंने 6 अक्टूबर, 1960 को दिया था। 7 दिसंबर, 1960 के एक अन्य संचार द्वारा, श्रम आयुक्त ने 29 सितंबर, 1960 के पहले के पत्र को वापस ले लिया। फिर उन्होंने 15 दिसंबर, 1960 को यह आदेश दिया-"चूंकि इस विभाग में आपने दुकान निरीक्षक के रूप में काम किया है, इस अवधि के दौरान आपका काम और आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया है, इसलिए आपकी सेवाओं को आपके रोजगार के नियमों और शर्तों के अनुसार समाप्त कर दिया जाता है, जैसा कि इस कार्यालय पत्र संख्या के साथ आपको जारी नियुक्ति पत्र में निहित है। 9953, दिनांक 27 मई, 1957, उस तारीख से प्रभावी है जब आपका स्थानापन्न आपसे कार्यभार संभालने के लिए कोटकपुरा पहुँचता है।

(51) उपरोक्त क्रम में रेखांकित शब्दों (इस रिपोर्ट में इटैलिक में) ने नौकर पर कलंक लगा दिया और इस प्रकार आदेश को एक दंडात्मक कार्रवाई दे दी, इसे सेवा से बर्खास्तगी में परिवर्तित कर दिया। राम नारायण दास के मामले (9) और जगदीश मित्तर के मामले (6) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभाव पर चर्चा करने के बाद खंड पीठ की ओर से बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश ने इस प्रश्न का उत्तर इन शब्दों में हां में दिया: "वर्तमान मामले में दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादी के लिए नियम 55-बी जैसा कोई नियम नहीं है जैसा कि राम नारायण दास के मामले (9) में है। श्रम आयुक्त द्वारा प्रत्यर्थी को अपना आचरण स्पष्ट करने के लिए लिखा गया पत्र ऐसे किसी नियम के अनुरूप नहीं था। इसमें लगाए गए आरोपों की बिना किसी जांच के इसे वापस ले लिया गया था। इसके प्रभाव को तब प्रत्यर्थी की सेवा को समाप्त करने वाले आदेश में पुनः प्रस्तुत किया गया था जब यह कहा गया था कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया था, इस प्रकार उसकी सेवा की समाप्ति को उचित ठहराया गया था। अब, जो कोई भी प्रतिवादी की सेवा की समाप्ति के इस आदेश को पढ़ रहा है।

यह तत्काल निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि प्रत्यर्थी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रोजगार का हकदार है, क्योंकि उसका काम नहीं बल्कि उसका आचरण भी संतोषजनक नहीं पाया गया था। यह उसके लिए एक कलंक जोड़ता है और काम करने की उसकी क्षमता के साथ-साथ उसके आचरण के खिलाफ भी आक्षेप लगाता है। यह मामला राम नारायण दास के मामले (9) के अनुपात के भीतर आता, लेकिन इस तथ्य के लिए कि बाद वाला मामला सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों के नियम 55-बी के तहत आगे बढ़ा, और वर्तमान मामले में ऐसा कोई नियम लागू नहीं है, एक अंतर जो जगदीश मित्तर के मामले में राम नारायण दास के मामले (9) पर विचार करते समय उनके लॉर्डशिप द्वारा खींचा गया था। (6).उन्होंने कहा, "दर्शन सिंह का मामला (7) स्पष्ट रूप से हमारे पहले के लोगों से अलग है। सबसे पहले, उस मामले में विवादित आदेश से पहले 29 सितंबर, 1960 को श्रम आयुक्त का एक पत्र था, जिसमें संदिग्ध सत्यनिष्ठा और अक्षमता के आरोप लगाए गए थे। उस पत्र के मद्देनजर 15 दिसंबर, 1960 को विवादित आदेश पारित किया गया था। विवादित आदेश को 29 सितंबर, 1960 के पत्र के आलोक में समझा जाना था, क्योंकि दोनों कारण और प्रभाव के रूप में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे और इन दोनों दस्तावेजों को संबंधित सरकारी कर्मचारी को सूचित कर दिया गया था। दूसरा, उस मामले में आक्षेपित आदेश किसी भी वैधानिक सेवा नियम की आवश्यकताओं या रोजगार के निहित या व्यक्त नियमों और शर्तों के अनुसार नहीं किया गया था। यह न केवल काम के लिए नौकर की क्षमता के खिलाफ, बल्कि उसके आचरण के खिलाफ भी आक्षेप लगाने के रास्ते से बाहर चला गया। इस प्रकार, उस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर यह बिल्कुल स्पष्ट था कि विवादित आदेश दंड के रूप में पारित किया

गया था। इसके अलावा, यह किसी कार्यवाहक सरकारी कर्मचारी के उच्च पद के लिए अनुपयुक्त पाए जाने के आधार पर उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित होने का मामला नहीं था।

(52) हमारे समक्ष मामले पंजाब राज्य और अन्य बनाम अप्पर अपार सिंह में इस न्यायालय के एक अन्य खंड पीठ के फैसले के अनुरूप प्रतीत होते हैं,[15]. उस मामले में। अप्पर अपार सिंह पंजाब शिक्षा सेवा कक्षा II के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। उन्हें पंजाब शिक्षा सेवा में प्रथम श्रेणी में अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था। 9 मई, 1963 को एक सरकारी कॉलेज के प्राचार्य के रूप में। उन्होंने 28 अप्रैल, 1964 को विवादित आदेश पारित होने तक उस पद पर बने रहे, जिससे उन्हें पंजाब शिक्षा सेवा कक्षा II में अपने मूल पद पर वापस भेज दिया गया। स्टाफ के कुछ सदस्यों द्वारा अप्पर अपार सिंह के खिलाफ कदाचार के कुछ आरोप लगाए गए थे और इसके विपरीत भी। जांच पड़ताल की गई। पूछताछ ए. जी. अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आरोपों में से एक में सार था। परिणाम यह हुआ कि अप्पर अपार सिंह को उनके मूल पद पर वापस करने का विवादित आदेश पारित कर दिया गया, क्योंकि उन्हें कॉलेज के प्राचार्य के जिम्मेदार पद पर बने रहने के लिए अयोग्य पाया गया था। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अप्पर अपार सिंह द्वारा दायर रिट याचिका को इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि उनके प्रत्यावर्तन का आदेश एक सजा के रूप में संचालित था और चूंकि यह संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानों के अनुपालन के साथ पारित किया गया था, इसलिए इसे बनाए नहीं रखा जा सकता था। राज्य ने अपील की। इस मुद्दे पर केस-लॉ पर चर्चा करने के बाद, लेटर्स पेटेंट बेंच की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति डी. के. महाजन ने इस मुद्दे पर कानून को निम्नानुसार निर्धारित कियाः-"उच्च पद पर कार्यरत व्यक्ति को उस पद का कोई अधिकार नहीं है। उसे कोई कारण बताए बिना वापस किया जा सकता है यदि वह उसको को दंडित नहीं करता है, लेकिन क्योंकि वापस किया गया व्यक्ति पद धारण करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, प्रति से यह सजा के बराबर नहीं होगा, हालांकि एक कलंक उलटने के कारण संलग्न नहीं होता है कि वह एक उच्च पद धारण करने के लिए अयोग्य पाया गया था। प्रत्येक मामले में, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्रत्यावर्तन का आदेश दंड के रूप में पारित किया गया है या अन्यथा, प्रत्यावर्तन की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों की समग्रता को देखना होगा।

(53) मैं उपरोक्त टिप्पणियों से सहमत हूं। वास्तव में, हम उस निर्णय से बाध्य हैं।

(54) बार में उद्धृत या ऊपर वर्णित मामलों के संबंध में, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक आदेश, जो एक कार्यवाहक सरकारी कर्मचारी को उच्च पद, जिसमें वह कार्य कर रहा था, के लिए अनुपयुक्त पाए जाने के स्पष्ट आधार पर उसके मूल पद पर पुनर्स्थापित करता है, को स्वयं एक दंडात्मक आदेश नहीं कहा जा सकता है, जो संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के विचार के भीतर एक कलंक, 'रैंक में कमी' के बराबर है, यदि उसके अनुपयुक्त पाए जाने का संदर्भ उसके रोजगार की शर्तों को नियंत्रित करने वाले किसी वैधानिक नियम के अनुसार किया गया है (जैसे कि राम नारायण दास के मामले में, (9) आई. बी. आई. डी., एच. पी. सिंह बनाम यू. पी. सरकार और एक अन्य[16] और भारत के रणेंद्र नाथ बनर्जी बनाम भारत संघ [17], या ऐसी अनुपस्थिति में, या तो उसके नियम या सेवा की प्रकृति के किसी भी अनुबंध के अनुसार निहित हो सकता है, जो उसके अनुबंध में निहित हो। बाद के विवरण

---

15 A.I.R. 196PB. 139

16AIR1957 S.C. 886

17A.I.R 1963 S.C. 1552

के मामलों के उदाहरण आर. एस. ढाबा के मामले (10) आई. बी. आई. डी., अप्पर अपार सिंह के मामले (15) आई. बी. आई. डी., और एफ. ए. इब्राहिम के मामले, (12) आई. बी. आई. डी. द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सैद्धांतिक रूप से किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति और किसी भी वैधानिक सेवा नियमों में निहित उसकी सेवा के नियमों और शर्तों के अनुसार उसकी सेवाओं की समाप्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। (हार्टवेल प्रेस्कॉट सिंह बनाम यू. पी., सरकार में टिप्पणियाँ देखें,[18].

(55) तथापि, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर नौकर के लिए यह प्रदर्शित करना खुला है कि यद्यपि प्रत्यावर्तन के क्रम के रूप में उसके नियोजन के निबंधनों और शर्तों में पारित किए जाने का तात्पर्य है, फिर भी सार और वास्तविकता में, उसका प्रत्यावर्तन एक दंडात्मक कार्रवाई है जो संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अर्थ के भीतर 'पद में कमी' के बराबर है। ऐसे मामलों के उदाहरण मदन गोपाल बनाम पंजाब राज्य, [19]गोपी किशोर का मामला (5) और दर्शन सिंह का मामला (7) द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

(56) यदि कार्यवाहक सरकारी कर्मचारी के प्रत्यावर्तन का आदेश, रोजगार के नियमों और शर्तों की आवश्यकताओं को पार करते हुए, कर्मचारी को अवांछनीय रूप से ब्रांड या कलंकित करने के रास्ते से बाहर चला जाता है, ऐसे उपनामों का उपयोग करके "अवांछनीय", "ईमानदार", "अपरिवर्तनीय", जिसका स्थायी रूप से उसे रोजगार या भविष्य की पदोन्नति से वंचित करने का प्रभाव होगा, तो यह एक दंडात्मक आदेश होगा। जग डिश मित्तर बनाम भारत संघ में ऐसा ही हुआ था (6).

(57) यह प्रत्यर्थियों का मामला नहीं है कि आक्षेपित आदेश भ्रष्टाचार, दुराचार आदि के आरोपों की किसी औपचारिक विभागीय जांच के परिणामस्वरूप की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई है। यह एक सरल प्रशासनिक आदेश है जो न केवल कलास II 1965 नियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप है, बल्कि (16) के साथ भी है। ने उनके कार्यवाहक रोजगार की अवधि को निहित किया, अर्थात्, कि वे उच्च पद धारण करने के लिए अनुपयुक्त पाए जाने की स्थिति में अपने मूल पद पर वापस आ जाएंगे। इस प्रकार, दूसरा परीक्षण भी प्रतिवादी-पेटी के खिलाफ जाता है।

याचिकाकर्ताओं और निष्कर्ष अपरिहार्य है कि उनकी मूल रैंक में वापसी रैंक में कमी के बराबर नहीं थी और परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 311 (2) को आकर्षित नहीं किया गया था।

(58) उत्तरदाताओं की ओर से आगे यह तर्क दिया गया है कि द्वितीय श्रेणी, 1965 के नियमों के नियम 9 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया था क्योंकि उस नियम द्वारा प्रारंभिक जांच करने और सूची तैयार करने के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया गया था और न ही ऐसी किसी जांच समिति द्वारा उत्तरदाताओं की कभी सुनवाई की गई थी। यह आग्रह किया जाता है कि इस कारण से भी, विवादित आदेश कानून की दृष्टि से गलत था।

(59) यह याचिका प्रत्यर्थियों द्वारा उनकी रिट-याचिकाओं में नहीं ली गई है, न ही इसे विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उत्तेजित किया गया था। इसलिए हम इस स्तर पर पहली बार इसका मनोरंजन करने से इनकार करते हैं।

18A.I.R. 1957 S.C. 886 &887

19A.I.R. 1963 S.C. 531.

(60) प्रत्यर्थियों की ओर से संबोधित एक अन्य तर्क था कि राष्ट्रपति। जिसने आक्षेपित आदेश पारित किया, उसने उत्तरदाताओं की उपयुक्तता या अन्यथा निर्धारित करने के लिए कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाया, लेकिन जैसा कि आक्षेपित आदेश में पाठ से स्पष्ट है, उसने लोक सेवा आयोग की सिफारिश को यांत्रिक रूप से अपनाया। इस कारण से भी, वकील का कहना है कि विवादित आदेशों को निरस्त किया जा सकता है।

(61) सबसे पहले, इस याचिका को रिट-याचिकाओं में भी विशेष रूप से नहीं लिया गया है; न ही विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष बहस के समय मुद्दा उठाया गया था। इससे पहले, इसे अपील में पहली बार उत्तेजित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दूसरा, विवादित आदेश (अनुलग्नक बी, e.g., देव दत्त के मामले में) भारत के राष्ट्रपति के नाम पर पंजाब सरकार के सचिव के हस्ताक्षर के तहत पारित किया गया है (पंजाब राज्य राष्ट्रपति शासन के तहत प्रासंगिक समय पर है)। अर्थात्, यह आदेश काफी हद तक संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (1) और (2) द्वारा परिकल्पित रूप के अनुसार था। अतः उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन इसकी वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था कि यह राष्ट्रपति द्वारा दिया गया आदेश नहीं था। शुद्धता का अनुमान आक्षेपित आदेश में पाठ के साथ संलग्न होगा कि यह राष्ट्रपति था जिसने लोक सेवा आयोग के परामर्श से, उत्तरदाताओं को P.E.S. में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं माना।
कलास II (इमारतें और सड़कें शाखा). इस तर्क को पहले ही खारिज कर दिया गया है।

(62) इन मामलों की एक और विशेषता यह है कि विवादित आदेश 28 अक्टूबर, 1966 को पारित किए गए थे। लेकिन उन्हें 1 नवंबर, 1966, i.e. के बाद सूचित किया गया था, जिस दिन पूर्व पंजाब राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया था और चार उत्तराधिकारी-पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और हस्तांतरित क्षेत्र अस्तित्व में आए थे। 1 नवंबर, 1966 से, सभी प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं को उत्तराधिकारी राज्यों को आवंटित किया गया था। सवाल यह है कि क्या 1 नवंबर, 1966 से पहले उत्तरदाताओं को सूचित नहीं किए जाने के कारण विवादित आदेश अप्रभावी और अभी भी पैदा हुए हैं। यद्यपि यह मुद्दा विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष नहीं उठाया गया था, फिर भी, चूंकि यह विशुद्ध रूप से कानून का प्रश्न था जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट था, इसके निर्धारण के लिए किसी अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने दोनों पक्षों के विद्वत वकील को इस बिंदु पर तर्क देने की अनुमति दी।
(63) पंजाब राज्य और एक अन्य बनाम रेशम सिंह और अन्य[20] में इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले के अधिकार पर, जिसने बदले में, उच्चतर न्यायालय के बच्चेतर सिंह बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य [21]और पंजाब राज्य बनाम अमर सिंह हरिके[22] के फैसले का पालन किया, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए।

(64) अपीलार्थी-राज्य के विद्वत महाधिवक्ता श्री बी. एस. ढिल्लों का तर्क है कि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए; कि रेशम सिंह के मामले (20) पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसने राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भौतिक प्रावधानों और सामान्य खंड अधिनियम के कुछ प्रावधानों की अनदेखी की थी। तर्क यह है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966

---

20 L.P.A . 198 of 1968 decided on 5th September, 1968.
21A.I.R. 1963 S.C. 395

22A.I.R. 1966 S.C. 1313

(जिसे इसके बाद '1966 अधिनियम' कहा जाता है) जहां तक पूर्ववर्ती पंजाब राज्य में शामिल क्षेत्रों में नियत दिन से ठीक पहले लागू कानूनों का संबंध है, तत्काल निरस्तीकरण और पुनः अधिनियमित करने वाला प्रावधान है। तर्क आगे बढ़ता है कि इन परिस्थितियों में, निरस्त और पुनः अधिनियमित अधिनियमों के तहत जारी किए गए विवादित आदेश तय किया गया आोर इसको जारी रखा जाएगा और उत्तराधिकारी राज्यों द्वारा प्रभावी किया जाएगा जिनके लिए विभिन्न उत्तरदाताओं को आवंटित किया गया था। इस संदर्भ में 1966 के अधिनियम की धारा 88 और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों का संदर्भ दिया गया है (X of 1897). रेशम सिंह के मामले (20) में, श्री ढिल्लन प्रस्तुत करते हैं, जिस बिंदु का अब आग्रह किया जा रहा है, वह नहीं उठाया गया था। हमें बताया गया है कि लेटर्स पेटेंट बेंच के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का आवेदन भी किया गया था और इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। श्री ढिल्लन कहते हैं कि उस आवेदन के साथ संलग्न अपील के आधार पर भी, इस बिंदु को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बहुत कम नहीं उठाया गया था। अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान महाधिवक्ता ने हसन नूरानी मलक बनाम एस. एस. एम. इस्माइल, सहायक चैरिटी आयुक्त, नागपुर और अन्य का हवाला दिया है[23] जी. एकांबरप्पा और अन्य बनाम अतिरिक्त लाभ कर अधिकारी, बेल्लारी,[24] जिला पंजीयक और अन्य बनाम एम/एस। लोकप्रिय ऑटोमोबाइल त्रिचुर[25] और मणिलाल आर. पांड्या बनाम चिमनलाल परशोतमदास और अन्य [26].

(65) श्री ढिल्लन ने विशेष अवकाश प्रदान करने के आवेदन के साथ सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील के आधारों को पढ़ा है। अतः यह स्पष्ट है कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 और 24 पर आधारित यह याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बिंदु पर विचार करने के लिए कोई बाधा नहीं है।

(66) उत्तर में, प्रत्यर्थियों की ओर से यह प्रतिवाद किया गया है कि 1966 अधिनियम को निरसनकारी और पुनः अधिनियमित करने वाला उपबंध नहीं कहा जा सकता है; वह धारा। 88. उस अधिनियम का केवल उन कानूनों की निरंतरता सुनिश्चित करता है जो मौजूदा पंजाब राज्य में नियत दिन से ठीक पहले उत्तराधिकारी राज्यों के क्षेत्रों में लागू थे। भले ही 1966 के अधिनियम की धारा 88 न हो, पूर्व पंजाब में नियत दिन से पहले प्रचलित सभी कानून उत्तराधिकारी राज्य के क्षेत्रों में तब तक लागू रहेंगे जब तक कि सक्षम एलजी स्लैचर द्वारा निरस्त नहीं किया जाता। इस बात पर बल दिया जाता है कि किसी भी मामले में, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 24 लागू नहीं होगी, क्योंकि जिन कानूनों को निरस्त करने का आरोप लगाया गया है, वे केंद्रीय कानून या विनियम नहीं थे, बल्कि ज्यादातर राज्य अधिनियम थे; तर्क की समानता पर, पंजाब सामान्य खंड अधिनियम, 18S8; लागू नहीं होगा, क्योंकि निरस्तीकरण और पुनः अधिनियमित अधिनियम संसद द्वारा पारित एक केंद्रीय अधिनियम है न कि पंजाब अधिनियम।

(67) इसे उत्तरदाताओं की ओर से आगे प्रचार किया जाता है।
कि धारा 89 और 90 को इस साधारण कारण से लागू नहीं किया जा सकता है कि आक्षेपित आदेश विशुद्ध रूप से प्रशासनिक आदेश थे और 1966 अधिनियम में दी गई 'विधि' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते थे।

---

23 A.I.R. 1967 S.C. 1742.
24 A.I.R. 1967 S.C. 1541.
25 A.I.R. 1967 Kerala 240
26 A.I.R. 1968 Gujrat 80

(68) प्रतिद्वंद्वी विवादों से निपटने से पहले, 1966 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर संक्षेप में ध्यान देना उपयोगी होगा। 1966 के अधिनियम के भौतिक प्रावधान इस प्रकार हैंः -

"88. विधियों का प्रादेशिक विस्तार -भाग-2 के उपबंधों से यह नहीं समझा जाएगा कि उन्होंने उन राज्यक्षेत्रों में कोई परिवर्तन किया है जिन पर नियत दिन से ठीक पहले प्रवृत्त कोई विधि विस्तारित होती है या लागू होती है और ऐसी किसी विधि में पंजाब राज्य को दिए गए प्रादेशिक निर्देश, जब तक कि किसी सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किए जाते हैं, तब तक निर्दिष्ट दिन से ठीक पहले उस राज्य के भीतर के राज्यक्षेत्र माने जाएंगे।

89. कानूनों को अनुकूलित करने की शक्ति।पंजाब या हरियाणा राज्य या हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में नियत दिन से पूर्व बनाई गई किसी विधि के आवेदन को सुगम बनाने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार, उस दिन से दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व, आदेश द्वारा, विधि के ऐसे अनुकूलन और संशोधन, चाहे वे निरसन या संशोधन के रूप में हों, जो आवश्यक या समीचीन हों, कर सकेगी और तदनुसार ऐसी प्रत्येक विधि सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित किए जाने तक इस प्रकार किए गए अनुकूलन और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी।
स्पष्टीकरण-इस धारा में, "समुचित सरकार" पद का अर्थ है-
(क) संघ सूची, केन्द्रीय सरकार में प्रगणित किसी मामले से संबंधित किसी विधि के संबंध में; और
(ख) किसी अन्य विधि के संबंध में-
(i) किसी राज्य, राज्य सरकार को लागू करने में; और
(ii) किसी संघ राज्य क्षेत्र, केन्द्रीय सरकार को लागू करने में।
90. कानून बनाने की शक्ति।—

(1) इसके बावजूद कि धारा 89 के तहत कोई प्रावधान या अपर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है। निर्दिष्ट दिन के पूर्व बनाई गई विधि का अनुकूलन, ऐसी विधि को प्रवर्तित करने के लिए अपेक्षित या सशक्त कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी, पंजाब या हरियाणा राज्य के संबंध में, या हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अपने आवेदन को सुगम बनाने के प्रयोजन के लिए, न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष मामले के संबंध में सार को प्रभावित किए बिना, ऐसी व्यवस्था में विधि का गठन कर सकता है, जो आवश्यक या उचित न हो।
2.) किसी भी कानून में पंजाब के उच्च न्यायालय के लिए कोई भी संदर्भ, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, नियत दिन को और उससे पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।
(95) अन्य विधियों के साथ असंगत अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव।इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत नहीं होगा।
(69) धारा 96 राष्ट्रपति को उस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में बाधाओं को दूर करने की शक्ति देती है।

(70) धारा 97 केंद्र सरकार को उस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाने की शक्ति देती है।

(71) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या 1966 अधिनियम, विशेष रूप से इसकी धारा 88, (केंद्रीय) सामान्य खंड अधिनियम (पंजाब सामान्य खंड अधिनियम की धारा 22 के अनुरूप) की धारा 24 के अर्थ के भीतर एक निरसन और पुनः अधिनियमित करने वाला प्रावधान है, यह परीक्षण लागू किया जाना है कि क्या नियत दिन से ठीक पहले पंजाब राज्य के क्षेत्रों में लागू सभी कानून स्वचालित रूप से निरस्त या निरस्त हो गए थे, लेकिन 1966 अधिनियम की धारा 88 में किए गए प्रावधान के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस परीक्षण का परिणाम नकारात्मक होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 88 को अत्यधिक सावधानी के रूप में पेश किया गया है। मेरी राय में, केवल पंजाब के क्षेत्रों को चार उत्तराधिकारी राज्यों में विभाजित करने से उन कानूनों को निरस्त या निरस्त नहीं किया जाएगा जो उन क्षेत्रों में नियत दिन से तुरंत पहले लागू होते हैं। 1966 के अधिनियम में, यहां तक कि धारा 88 में भी ऐसा कुछ नहीं है, जो पूर्व पंजाब के क्षेत्रों में नियत दिन से ठीक पहले लागू कानूनों को स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से निरस्त करता है। उन कानूनों ने 1966 के अधिनियम से अपना प्रभाव प्राप्त किया। धारा 88 का पहला भाग केवल पंजाब के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी शंका का स्पष्टीकरण देता है, जबकि इस धारा का उत्तरार्द्ध केवल इस आशय का एक अनुकूली उपबंध है कि पंजाब राज्य के लिए ऐसी किसी विधि में प्रादेशिक संदर्भों का अर्थ नियत दिन से पहले मध्यस्थता करने वाले उस राज्य के भीतर के क्षेत्र बने रहेंगे। इस प्रकार, समग्र रूप से पढ़ें, धारा 88 केवल उन कानूनों की निरंतरता के बारे में संदेह को दूर करती है जो पूर्व पंजाब राज्य में नियत दिन से पहले लागू थे, जब तक कि सक्षम विधायिका या उत्तराधिकारी राज्यों का अधिकार उन कानूनों में कोई बदलाव नहीं करता है।

(72) मेरे विचार में, लाहमन दास बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपत्यों की कुछ टिप्पणियों से मैं मजबूत हुआ हूं। लक्ष्मण दास के मामले[27] में अपीलकर्ता फर्म पर रु। पटियाला स्टेट बैंक को 2 लाख। चूंकि इस ऋण का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए बैंक ने पटियाला राज्य बकाया वसूली अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसे प्राप्त करने के लिए कदम उठाए। उस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और फर्म के साथ कुछ पत्राचार के आदान-प्रदान के बाद, 27 जनवरी, 1956 को बैंक के प्रबंध निदेशक ने उस अधिनियम की धारा 7 के तहत एक प्रमाण पत्र जारी किया, कि रु। 4.98.589-1-6 फर्म से देय था और उपायुक्त से पूछा। पटियाला, भूमि राजस्व के बकाया के समान वसूली करने के लिए। फर्म ने विभिन्न आधारों पर अधिनियम और उसके तहत की गई कार्यवाही की वैधता को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए एक प्रमाण पत्र प्रदान किया। फर्म ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका भी दायर की। उच्चतम न्यायालय के समक्ष तीन विवाद उठाए गए थे। विवाद नं. 1, जो इस चर्चा के लिए केवल सामग्री है, इस प्रकार थीः-"अभियुक्तों द्वारा देय राशि का निर्धारण करने और उसी की वसूली के लिए अधिनियम के तहत की गई कार्यवाहियां कानूनी हैं क्योंकि अधिनियम सामग्री तिथियों पर लागू नहीं था।

(73) लक्ष्मण दास के मामले (27) के कुछ और तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है। पेप्सू का नया राज्य 20 अगस्त, 1948 को अस्तित्व में आया, जैसा कि वाचा के तहत प्रदान किया गया था। पटियाला के शासक इसके राज प्रमुख बने और उसी तारीख को उन्होंने एक अध्यादेश नं. 2005 का 1 (बी. के.),

---

27 A.I.R. 1963 S.C. 222.

जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध किया गया था कि "उस तारीख को पटियाला राज्य में प्रवृत्त सभी विधियां उक्त राज्य के राज्यक्षेत्रों पर उत्परिवर्तित रूप से लागू होंगी और उस तारीख से उस तारीख से ठीक पहले ऐसे करार राज्य में प्रवृत्त सभी विधियां निरसित की जाएंगी। बी. इस अध्यादेश के बल पर, विवादित अधिनियम पेप्सू संघ का कानून बन गया। वाचा के अनुच्छेद X के तहत, यह अध्यादेश 20 फरवरी, 1949 को समाप्त हो गया होगा, और इसलिए 15 फरवरी, 1949 को राज प्रमुख ने एक और अध्यादेश नं. 2005 का 16 (बी. के.) अध्यादेश 2005 का सं.1.

(74) वाचा के अनुच्छेद X में प्रावधान किया गया था कि राज प्रमुख द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेश केवल छह महीने की अवधि के लिए लागू होने थे। यह उम्मीद की जा रही थी कि इस बीच संविधान सभा बुलाई जाएगी और एक नियमित संविधान तैयार किया जाएगा। लेकिन यह अमल में नहीं आया और इसलिए 9 अप्रैल, 1949 को सभी शासकों ने फिर से बैठक की और एक पूरक वाचा तैयार की, जिसके तहत अनुच्छेद X को "इसकी घोषणा से छह महीने से अधिक के स्थान के लिए" शब्दों को हटाकर संशोधित किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि अध्यादेश सं. 2005 का 16 (बी. के.), जिसमें आक्षेपित अधिनियम भी शामिल है, 20 अगस्त, 1949 को व्यपगत नहीं होगा, लेकिन नए विधान द्वारा पुनः जारी किए जाने तक प्रवृत्त रहेगा। अपीलार्थी फर्म द्वारा यह तर्क दिया गया था कि पूरक वाचा अमान्य थी, और उस प्रश्न पर विचार करने के लिए सिविल कोर्ट का न्यायशास्त्र संविधान के अनुच्छेद 363 द्वारा वर्जित था। दूसरे शब्दों में, तर्क यह था कि यदि पूरक करार अमान्य था, तो वे उक्त अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं थे, क्योंकि यह करार में अनुच्छेद X के कारण निष्क्रिय था। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने भोलानाथ जे. ठाकर बनाम सौराष्ट्र राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया[28]. उनके अधिपतियों ने इस तर्क के पहले भाग को स्वीकार किया कि पूरक वाचा अमान्य थी। दूसरे पक्ष का तर्क था कि भले ही पूरक वाचा अमान्य थी, प्रत्यर्थी-राज्य केवल मौजूदा कानूनों के तहत एक अधिकार को लागू कर रहा था जो तब तक लागू रहे जब तक कि उन्हें उपयुक्त विधायिका द्वारा निरस्त नहीं कर दिया गया। उनके प्रभुता स्वीकार
भोलानाथ के मामले (28) को इन शब्दों में संदर्भित करने के बाद यह तर्क दिया गयाः-"वहां (भोलानाथ के मामले में) (28) वधवान राज्य के एक न्यायिक अधिकारी ने काठियावाड़ राज्य के एक आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए एक मुकदमा दायर किया था, जो वधवान सहित कई राज्यों के विलय के परिणामस्वरूप बनाया गया था, जिसके तहत उनकी सेवाओं को समय से पहले समाप्त कर दिया गया था। सवाल यह था कि क्या कार्रवाई को अनुच्छेद 363 द्वारा वर्जित किया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिकारी को विलय की तारीख से पहले अधिनियमित वधवान की एक विधि के तहत सेवा में बने रहने का अधिकार था, कि वाचा पर केवल यह दिखाने के लिए भरोसा किया गया था कि वह अधिकार हमेशा मौजूद था, और यह कि अनुच्छेद 363 ऐसे वाद के रखरखाव के लिए एक बाधा नहीं था। निर्णय का अनुपात निम्नलिखित अवलोकन में पाया जाता हैः "वाचा से कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ था और अपीलार्थी जो कर रहा था वह केवल मौजूदा कानूनों के तहत अपने अधिकारों को लागू करने के लिए था जो तब तक लागू रहे जब तक कि उन्हें उचित विधान द्वारा निरस्त नहीं किया गया।" दूसरे शब्दों में, विवाद एक ऐसे अधिकार से संबंधित था जो स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ था, और जिसकी पुष्टि वाचा में की गई थी, और इसलिए, अनुच्छेद 363 का कोई अनुप्रयोग नहीं था। यहाँ यह स्थिति नहीं है। आक्षेपित अधिनियम के अनुसार निर्धारित राशि का बैंक को भुगतान करने के लिए अपीलार्थियों का दायित्व वह है जो वाचा के आधार पर उत्पन्न होता है, और इसे केवल अनुच्छेद X का

28A.I.R. 1954 S.C. (580)

सहारा लेकर समाप्त करने की मांग की जाती है। इसलिए यह विवाद सीधे तौर पर करार के किसी प्रावधान पर उत्पन्न होता है और अनुच्छेद 363 लागू होगा।

‘‘लेकिन भले ही अपीलार्थी अपने इस तर्क में सही हों कि 2005 के अध्यादेश 1 और 16 (बीके) उनकी उद्घोषणा की तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद प्रभावी नहीं रह गए हैं, वे इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन अध्यादेशों ने जो किया वह सभी पटियाला कानूनों के संचालन को उन क्षेत्रों तक विस्तारित करना था जो अन्य वाचा राज्यों का हिस्सा थे। जहां तक पूर्ववर्ती पटियाला राज्य के क्षेत्रों का संबंध है, इसके कानून 2005 के आदेश 1 या 16 के बल पर नहीं, बल्कि पूरी ताकत से लागू रहे। (Bk). इसलिए, यदि अध्यादेश 20 अगस्त, 1949 को समाप्त हो जाते हैं, जैसा कि अपीलार्थियों के लिए तर्क दिया गया है, तो भी यह विवादित अधिनियम के तहत उनके दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि वे पूर्ववर्ती पटियाला राज्य के क्षेत्र से आते हैं और किसी भी स्थिति में इसके द्वारा शासित होंगे।

(75) महत्वपूर्ण शब्द उपरोक्त उद्धरणों में * हैं जिन्हें रेखांकित किया गया है (in italics in this report) पेप्सू के गठन के विपरीत, हरियाणा, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और हस्तांतरित क्षेत्र, i.e., चार उत्तराधिकारी राज्यों को पूर्व राज्य पंजाब के क्षेत्रों से अलग किया गया है क्योंकि यह 1 नवंबर, 1966 से पहले मौजूद था। तर्क की समानता पर, 1 नवंबर, 1966 से ठीक पहले इन क्षेत्रों में लागू कानून उचित कानून द्वारा संशोधित या निरस्त होने तक प्रभावी रहेंगे। इस प्रकार यह समझा जाता है कि 1966 का अधिनियम, विशेष रूप से धारा 88, निरसित करने वाला और पुनः अधिनियमित करने वाला प्रावधान नहीं है।

(76) यह मानते हुए-लेकिन यह अभिनिर्धारित नहीं करते हुए-कि 1966 का अधिनियम एक निरसित करने वाला और पुनः अधिनियमित करने वाला उपबंध है-तो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 24 को भी इस साधारण कारण से आकर्षित नहीं किया जाएगा कि जबकि 1965 का अधिनियम एक केन्द्रीय अधिनियमन है, अधिकांश विधियां जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें पुनः प्रस्तुत किया गया था और उनके द्वारा पुनः अधिनियमित किया गया था, वे पंजाब के विधियां थीं। इसी तरह, पंजाब सामान्य खंड अधिनियम की धारा 22 को सहायता के लिए नहीं बुलाया जा सकता है क्योंकि 1966 अधिनियम पंजाब अधिनियम नहीं है।

(77) अब मैं विद्वत महाधिवक्ता के वैकल्पिक तर्क को लेता हूं, अर्थात्, 1966 अधिनियम की धारा 89 और 90 के अनुप्रयोग द्वारा, पूर्व पंजाब राज्य द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को संबंधित उत्तराधिकारी राज्यों द्वारा पारित आदेशों के रूप में माना जाना चाहिए, जिन्हें याचिकाकर्ता-प्रतिवादियों को आवंटित किया गया है। यह तर्क भी मान्य नहीं प्रतीत होता है, इस साधारण कारण से कि आक्षेपित आदेश विशुद्ध रूप से प्रशासनिक आदेश हैं और 1966 के अधिनियम की धारा 2 (छ) के अर्थ के भीतर कानून नहीं हैं। न तो अनुकूलन का सवाल है और न ही उनके निर्माण का। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या वे प्रभावी आदेश थे। बचित्तर सिंह के मामले (21) में उच्चतम न्यायालय की घोषणाओं और रेशम सिंह के मामले (20) में अमर सिंह हरिका के मामले (22) की घोषणाओं ने इस नियम को दृढ़ता से स्थापित किया है कि एक प्रशासनिक आदेश उस तारीख से प्रभावी होता है जब इसे संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाता है या अन्यथा उपयुक्त तरीके से प्रचारित किया जाता है।

(78) मनीला में निर्णय! आर. पांड्या का मामला (26), जिस पर विद्वान महाधिवक्ता ने भरोसा किया था, कोई सहायता नहीं है। वहाँ, प्रस्तावित खाद्य मिलावट निवारण नियमों का मसौदा बॉम्बे राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था जब अहमदाबाद शहर भी बॉम्बे राज्य का हिस्सा था। बॉम्बे राज्य के दो

राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित होने के बाद, गुजी राज्य सरकार ने खाद्य वयस्कों की रोकथाम का प्रकाशन किया।

तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा मसौदे में प्रकाशित नियमों के उप रुख को बदले बिना मिलावट नियम, जिसके लिए गुजरात की राज्य सरकार, संक्षेप में, उस राज्य में शामिल क्षेत्र के संबंध में उत्तराधिकारी थी। उस मामले में प्रतिवादी चिमनलाल पर खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16 (l) (a) (ii) के तहत एक अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें इस आधार पर बरी कर दिया कि गुजरात खाद्य मिलावट निवारण नियम, 1961 वैध नहीं थे क्योंकि वे पहले उक्त अधिनियम की धारा 24 द्वारा आवश्यक रूप से प्रकाशित नहीं किए गए थे, और विभाजन से पहले बॉम्बे की पूर्व सरकार द्वारा मसौदा नियमों के प्रकाशन को पूर्व प्रकाशन की आवश्यकता का अनुपालन नहीं माना जा सकता था। पुनरीक्षण में, विद्वत न्यायाधीशों ने इस तर्क को उलटते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 23 (1) की अपेक्षा यह थी कि प्रारूप नियमों का प्रकाशन उस प्राधिकारी द्वारा किया जाना था जिसके पास ऐसे प्रकाशन की तिथि पर नियम बनाने की शक्ति थी और यह भी अपेक्षित नहीं था कि अंतिम रूप से नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा पूर्व प्रकाशन किया जाना चाहिए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यह एक उपयुक्त मामला था जिसमें बंबई पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 लागू की जानी चाहिए। "राज्य सरकार" वाक्यांश पर रखा जाना था कि इसका अर्थ नियत दिन से पहले किए गए कार्यों के संबंध में होना चाहिए, बॉम्बे सरकार और नियत दिन से किए गए कार्यों के संबंध में, गुजरात सरकार या महाराष्ट्र सरकार संबंधित राज्यों के भीतर आने वाले क्षेत्रों के संबंध में। जिस उद्देश्य के लिए धारा 24 में पूर्व प्रकाशन की आवश्यकता पेश की गई थी, उसका अनुपालन बॉम्बे सरकार द्वारा मसौदा नियमों के पूर्व प्रकाशन द्वारा किया गया था। इसलिए, गुजरात खाद्य मिलावट निवारण नियम, 1961 को वैध रूप से बनाया गया था।

(79) तत्काल मामलों में, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 23 के लागू होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ सवाल यह है कि क्या सामान्य खंड अधिनियम की धारा 24 या इसका सिद्धांत लागू होगा। न ही कानून की शक्ति वाले किसी कानून या व्यवस्था के निर्माण या अनुकूलन का कोई सवाल है।

(80) यह आवश्यक नहीं है कि विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उद्धृत अन्य निर्णयों को विभाजित करके इस निर्णय को प्रभावित किया जाए। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि उन मामलों के तथ्य तत्काल मामलों के साथ बिल्कुल भी समानांतर नहीं थे। अंत में, इसलिए, रेशम सिंह के मामले (20) में इस अदालत के डिवीजन बेंच के फैसले के साथ सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त करते हुए, जिसके द्वारा हम बाध्य हैं-हम यह मानेंगे कि 1968 के लेटर्स पेटेंट अपील्स 286,289,368,340,374,375,376,377,378,379,380,502 और 511 में विवादित आदेश अप्रभावी और निष्क्रिय रहे, क्योंकि उन्हें 1 नवंबर, 1966 से पहले उत्तरदाताओं को सूचित नहीं किया गया था या उचित तरीके से प्रचारित नहीं किया गया था। इस छोटे से आधार पर, विवादित आदेश रद्द कर दिए जाते हैं और अपील विफल हो जाती हैं। इसमें शामिल जटिल कानूनी बिंदुओं को देखते हुए, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देंगे।

(81) हमारे सामने अपीलों के दूसरे समूह में लेटर्स पेटेंट अपील शामिल हैं। पंजाब राज्य द्वारा विद्वत एकल न्यायाधीश के क्रमशः 25 मार्च, 1968 और 21 मार्च, 1968 के उन निर्णयों के विरुद्ध 327 और 328 दिए गए, जिनके द्वारा उन्होंने भगवान सिंह चावला और सुशील कुमार खुल्लर द्वारा क्रमशः 1967 की 66 और 1967 की 176 रिट याचिकाओं को स्वीकार किया। अपीलों के पहले समूह में इन प्रत्यर्थियों और 13 प्रत्यर्थियों के मामलों के बीच एकमात्र तथ्यात्मक अंतर यह है कि इन दोनों को सीधे लोक

निर्माण विभाग (भवन और सड़क शाखा) पंजाब में अस्थायी सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था, दिनांक 12 मई, 1960 के संचार में निहित नियमों और शर्तों पर (1967 की रिट याचिका 176 का अनुलग्नक 'ए') इसका भौतिक भाग इस प्रकार हैः-"मुझे पंजाब के राज्यपाल द्वारा आपको (पंजाब में अस्थायी सहायक अभियंता का पद, P.W.D., B. & आर., शाखा) निम्नलिखित शर्तों/शर्तों पर -

आई. पद का कार्यकालः —

(i) नियुक्ति अस्थायी होगी।

(ii) यह सेवा सरकार द्वारा आपको/आपको सरकार को लिखित रूप में एक महीने/तीन महीने के नोटिस द्वारा समाप्त की जा सकेगी। यदि सरकार आपकी सेवाओं को समाप्त करना चाहती है/आप बिना किसी सूचना के सेवा छोड़ देते हैं, तो सरकार/आपको आपको/सरकार को एक महीने/तीन महीने के नोटिस के बदले में आपके एक महीने/तीन महीने के परिलब्धियों के बराबर राशि या उस अवधि के लिए आपके परिलब्धियों के बराबर राशि का भुगतान करना होगा, जिसके लिए नोटिस एक महीने/तीन महीने से कम हो जाता है। कदाचार, अक्षमता, उपेक्षा या कर्तव्य की विफलता के मामले में, आपको मामले में प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के बाद सेवा समाप्त की जाएगी। हालाँकि, यदि आपकी प्रशिक्षुता की अवधि के दौरान आपका काम असंतोषजनक होता है तो सरकार आपकी सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

II. वेतन-आपको रुपये में वेतन दिया जाएगा। 250 रुपये के पैमाने पर। 250-25-550/25-750।

III. छोड़ें-

IV। पद की स्थिति-पद राजपत्रित स्थिति का होगा।

वी. परिवीक्षा -प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आप तीन महीने के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

(82) लेटर्स पेटेंट अपील में सुशील कुमार खुल्लर। 1968 के 328 ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस पद पर शामिल हो गए। उनके 6 महीने के प्रशिक्षण के पूरा होने पर, पंजाब सरकार ने 17 जनवरी, 1961 को अधिसूचना (अनुलग्नक बी) जारी कर उन्हें पांच अन्य व्यक्तियों (जिनके मामले से हम संबंधित नहीं हैं) के साथ लोक निर्माण विभाग में अस्थायी सहायक अभियंता (अपरेंटिस इंजीनियर) के रूप में नियुक्त किया। & आर. शाखा. उनकी तीन महीने की परिवीक्षा अवधि 3 दिसंबर, 1960 को शुरू हुई और 3 मार्च, 1961 को पूरी हुई।

(83) भगवान सिंह चावला, लेटर्स पेटेंट अपील में प्रतिवादी-याचिकाकर्ता। 1968 का 327, रुपये के समान पैमाने में अपनी छह महीने की प्रशिक्षण अवधि पूरी करने पर अस्थायी सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था। 250-750 3 दिसंबर, 1960 से प्रभावी। समान नियम और शर्तों की पेशकश की गई थी और उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उनकी परिवीक्षा अवधि भी 3 महीने तय की गई थी, जो उनके प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद शुरू होनी थी। 28 अक्टूबर, 1966 को, भारत के राष्ट्रपति ने पंजाब लोक सेवा आयोग के परामर्श से एक आदेश पारित किया, जिसमें दोनों उत्तरदाताओं (भगवान सिंह चावला और सुशील कुमार खुल्लर) की सेवाओं को स्पष्ट रूप से इस आधार पर समाप्त कर दिया गया कि वे P.S.E., कक्षा II में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त पाए गए। (B. & R. Branch). राष्ट्रपति के इन आदेशों को भगवान सिंह चावला और सुशील कुमार खुल्लर द्वारा लिखित याचिका में कमोबेश उन्हीं आधारों पर चुनौती दी गई थी, जिसमें 13 अपीलों के पहले समूह में प्रतिवादियों ने उनके प्रत्यावर्तन के आदेशों को चुनौती दी थी।

राम प्रसाद बनाम रघबीर सिंह (मेहर सिंह, मुख्य न्यायाधीश)

(84) ऐसा प्रतीत होता है कि एकल न्यायाधीश के समक्ष एकमात्र आधार यह था कि नियुक्ति के मामलों में वे 1942 के नियमों द्वारा शासित थे, और उन नियमों के नियम 12 द्वारा निर्धारित अधिकतम 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के पूरा होने पर, वे स्वचालित रूप से पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के स्थायी सदस्य बन गए। & आर. इस तर्क को स्वीकार करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और आसन्न आदेशों को रद्द कर दिया। इसलिए ये पंजाब राज्य द्वारा।

(85) इन अपीलों में हमारे सामने जिन बिंदुओं का प्रचार किया गया है, वे भी वही हैं जिनकी चर्चा ऊपर 13 अपीलों के पहले समूह में की गई है। इस निर्णय के पूर्वगामी भाग में दिए गए कारण, इसलिए, इन विरोधों के मामलों में, इन अपीलों में भी, उत्परिवर्तित परिवर्तन लागू होंगे। इन मामलों में भी सुशील कुमार खुल्लर और भगवान सिंह चावला की सेवाओं को समाप्त करने के विवादित आदेश 28 अक्टूबर, 1966 को पारित किए गए थे, लेकिन 1 नवंबर, 1966 को या उसके बाद उन्हें सूचित कर दिया गया था। यद्यपि हमने प्रत्यर्थियों के मामलों में 1942 के नियमों की प्रयोज्यता के संबंध में विद्वत एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष को उलट दिया है, फिर भी इस आधार पर कि आक्षेपित आदेश 1 नवंबर, 1966 से पहले लागू नहीं किए गए थे, अप्रभावी और अभी भी बने हुए हैं, हम इन दो मामलों में आक्षेपित आदेशों को रद्द करते हैं, और इसके परिणामस्वरूप, लागत के रूप में बिना किसी आदेश के अपीलों को खारिज कर देते हैं।

मै मेहर सिंह, मुख्य न्यायाधीश-से सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

डा० सुशीला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रोहतक,हरियाणा